

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 04/2023 (CZ)
IN ORIGINAL APPLICATION No.78/2016(CZ)

Chhattisgarh Nagrik Sangharsh Samiti

Versus

State of Chhattisgarh & Ors.

REPORT ON BEHALF OF DISTRICT COLLECTOR, RAIPUR (CG)

IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 02.05.2023 AND 17.07.2023
PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL

INDEX

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Report of District Collector, Raipur in compliance of the order dated 02.05.2023 and 17.07.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal		03-06
2.	Report	R-1	07-09
3.	Copy of Notices dated 24.09.2022	R-2	10-11
4.	State Government Orders dated 06.03.2010, 28.12.2015 and 04.01.2016	R-3 (COLLY)	12-18
5.	Copy of letter dated 20.05.2022	R-4	19-20
6.	Order dated 23.03.2022	R-5	21-22
7.	Order dated 13.01.201	R-6	23-26
8.	Letter dated 06.10.2021	R-7	27
9.	Order dated 30.12.2022	R-8	28-29
10.	List of cases between 01.10.2022 to 31.05.2023 against the accused under Kolahal Adhinyam and Motor Vehicle Act	R-9	30-56
11.	Order dated 23.03.2023	R-10	57
12.	Details of Action Taken	R-11	58-67
13.	Order dated 17.07.2023	R-12	68-117
14.	Order dated 18.10.2022	R-13	118-119

**Report of District Collector, Raipur in compliance of the order dated
02.05.2023 and 17.07.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal
in EA No. 04/2023 (CZ) In OA No.78/2016(CZ)
Chhattisgarh Nagrik Sangharsh Samiti Vs State Of CG & Ors.**

1. Instant execution application has been filed by the applicant for execution of the order dated 23.09.2016 passed by the Hon'ble Tribunal in OA No. 78/2026 (CZ) Chhattisgarh Nagrik Sangharsh Samiti Vs Principal Secretary, Nagariya Prashasan Vibhag, Raipur & ors.
2. Hon'ble National Green Tribunal, Central Bench, Bhopal vide order dated 02.05.2023 and 17.07.2023 in EA No. 04/2023(CZ) Chhattisgarh Nagrik Sangharsh Samiti Vs State of Chhattisgarh & Ors directed the District Collector, Raipur to submit a report with respect to the actions taken to comply with the directions passed by the Hon'ble Tribunal vide order dated 23.09.2016.
3. At the outset, the undersigned tenders his unconditional apology for the inadvertent delay in filing the compliance report before the Hon'ble Tribunal. It is humbly submitted that the undersigned has the highest regard for the orders passed by the Hon'ble tribunal and has taken effective steps to comply with the directions passed by the Hon'ble Tribunal.
4. The actions taken by the district administration for compliance of the directions dated 23.09.2026 passed by the Hon'ble Tribunal in OA 78/2016 are as follows:-
 - i. Erection of pandals and welcome gates –
In compliance of the directions passed by the Hon'ble Tribunal, District Administration has initiated actions against the persons erecting puja pandals and welcome gates in violation of the directions passed by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and Hon'ble NGT from time to time. The local administration and police officers have been directed to keep a check on such pandals and welcome gates during the

festive season. Action was initiated against two societies for erecting pandals and welcome gates in violation of directions of courts. Copy of notices dated 24.09.2022 have been enclosed as **Annexure R-2**

- ii. In furtherance to the directions passed by the Hon'ble Tribunal with respect to the compliance of Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000, the State Government has also issued orders dated 06.03.2010, 28.12.2015 and 04.01.2016 for ensuring effective implementation of the Noise Rules in the State. The undersigned has been taking the required measures for compliance of the above stated orders. The State Government Orders dated 06.03.2010, 28.12.2015 and 04.01.2016 have been enclosed herewith as **Annexure R-3 (COLLY)**
- iii. The undersigned has issued letter dated 20.05.2022 directing all the Sub-Divisional Magistrates and all Police Station in-charges to initiate actions against the persons using loudspeakers without permissions. Copy of letter dated 20.05.2022 has been enclosed as **Annexure R-4.**
- iv. 05 inspections teams were constituted vide order dated 23.03.2022 to carry out spot inspections from time to time in order to ensure the compliance of Noise Rules 2000. **Annexure R-5.**
- v. 05 inspections teams were constituted vide order dated 13.01.2017 to carry out spot inspections from time to time in order to ensure the compliance of Noise Rules 2000. **Annexure R-6.**
- vi. The undersigned wrote a letter dated 06.10.2021 to Superintendent of Police, Raipur to comply with the directions of the Hon'ble High Court of CG at Bilaspur passed in WP 112/2016 order dated 06.12.2016. **Annexure R-7.**
- vii. 05 inspection teams were constituted vide order dated 30.12.2022 to control noise pollution from time to time in order to ensure the compliance of Noise Rules 2000. **Annexure R-8.**

- viii. The office of Deputy Inspector General of Police and Senior Superintendent of Police, District Raipur has made 149 cases between 01.10.2022 to 31.05.2023 against the accused under Kolahal Adhiniyam and Motor Vehicle Act. The list is enclosed here as **Annexure R-9**.
- ix. The undersigned vide order dated 23.03.2023 banned the use of loudspeakers without prior written permission till further orders. **Annexure R-10**.
- x. According to the report received by the Police Department. Following action has been taken –
- a) 91 matters were registered in the year 2017, 45 matters were registered in the year 2018, 34 matters were registered in the year 2019 against playing Sound Box, DJ etc.
- b) From January 2023 to July 2023 a sum of Rs 40,000/- Summons fee was collected against the Pressure horn under Motor Vehicle Act.
- c) From January 2023 to July 2023, 121 matters were registered against modified silencer causing noise pollution and a sum of Rs 6,08,500/- Summons fee was collected.
- Annexure R-11 (Page 01 to Page 17)**
- xi. In compliance with the order dated 17.07.2023 of the Hon'ble Court, the report issued by the Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, dated 21.07.2023 regarding Noise Pollution and Air Pollution is enclosed as **Annexure R-12**.
- xii. 05 teams were constituted vide order dated 18.10.2022 in compliance to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench New Delhi with respect to firecrackers. The teams have been ordered to ensure necessary action while establishing necessary coordination in their respective police station area while continuously checking the firecracker shop/ site located. **Annexure R-13**.

- xiii. At the time of festivals, the firecracker traders are called by the undersigned and they are informed about the instructions of the Hon'ble Court and the Government and are directed to follow it.

It is most humbly prayed that the undersigned has been taking efforts to comply with the directions passed by the Hon'ble Tribunal. The undersigned begs to plead apology for the delay in filing of the said report. Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the above stated compliance report on record.



District Collector
Raipur, Chhattisgarh

समक्ष माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली

एक्जेंक्यूशन एप्लीकेशन 04/2023 (सी.जेड.)

अंतर्गत

ओरिजिल एप्लीकेशन 78/2026 (सी.जेड.)

छत्तीसगढ नागरिक संघर्ष समितिआवेदकगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ राज्य व अन्यउत्तरवादी

पेशी तिथि 08.08.2023

माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा धारा 14 एवं 15 अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रस्तुत OA/04/2023 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने विषयक।

उत्तरवादी क्रमांक 01 के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की विधिवत् जानकारी पूर्ण सत्य निष्ठा एवं सम्पूर्ण सम्मान के साथ निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत है।

1. यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.07.2023 की कंडिका 07 में पूजा उत्सव गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा के दौरान सड़को एवं सड़क पर गेट लगाने को प्रतिबंधित करने हेतु आदेशित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के परिपालन में दुर्गा पूजा पंडाल एवं गेट लगाने वालों पर कार्यवाही की गई एवं पूजा उत्सवों के समय प्रत्येक समय सीमा बैठक में उपस्थित स्थानीय निकायों एवं पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देश दिये। माननीय न्यायालय के द्वारा दुर्गा पूजा एवं गणेश पूजा के समय सड़को पर पंडाल, गेट बनाने के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुपालन में 02 समितियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रदर्श आर-1(1)(2)
2. यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आदेशित किया गया है। रायपुर जिले में छत्तीसगढ शासन, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 8390/मु./छ.ग.प.सं.क./2010 रायपुर दिनांक 06.03.2010 के निर्देश के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित की गई है एवं छत्तीसगढ आवास पर्यावरण के पत्र क्रमांक एफ-4-7/2015/82 दिनांक 28.12.2015 में दिये गये आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, रायपुर एवं सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर को पत्र क्रमांक 1/अजिद/एस.डब्ल्यू/16 रायपुर दिनांक 04.01.2016 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण(नियमन एवं नियंत्रण) 2020 का कडाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रदर्श आर-1(2)(3)(4)

3. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के पत्र क्रमांक 807/अजिद/एस. डब्ल्यू/2022 रायपुर दिनांक 20.05.2022 के द्वारा समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारी रायपुर को बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के संबंध में कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। प्रदर्श आर-1(5)
4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 590/अजिद/एस.डब्ल्यू/2022 रायपुर दिनांक 23.03.2022 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 एवं संशोधित नियम 2010 के प्रावधानों का सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु 05 दल गठित किये गये हैं। प्रदर्श आर-1(6)
5. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 21/अजिद/एस.डब्ल्यू/2017 रायपुर दिनांक 13.01.2017 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने एवं स्थल निरीक्षण करने हेतु 05 दल का गठन किया गया है। प्रदर्श आर-1(6)
6. कार्यालय कलेक्टर के ज्ञापन क्रमांक 1137/अजिद/एस.डब्ल्यू/2021 रायपुर दिनांक 06.10.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) क्रमांक 112/2016 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक, रायपुर को कार्यवाही करने हेतु कार्यालय कलेक्टर, रायपुर द्वारा लेख किया गया है। प्रदर्श आर-1(7)
7. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर के आदेश क्रमांक 1506/अजिद/एस.डब्ल्यू/2022 रायपुर दिनांक 30.12.2022 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एवं समय - समय पर स्थल निरीक्षण करने हेतु 05 दलों का गठन किया गया है। प्रदर्श आर-1(8)
8. कार्यालय पुलिस उम महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर के द्वारा कोलाहल अधिनियम के संबंध में दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 31.05.2023 तक कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल के अंतर्गत 149 प्रकरण आरोपियों के विरुद्ध बनाये गये हैं, जिसकी सूची संलग्न हैं। प्रदर्श आर-1(9)
9. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के आदेश क्रमांक 226/अजिद/एस.डब्ल्यू/2023 रायपुर दिनांक 23.03.2023 के द्वारा बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। प्रदर्श आर-1(10)
10. पुलिस विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार साउण्ड बॉक्स डी.जे. लगाकर बजाने आदि के संबंध में वर्ष 2017 में 91 प्रकरण, वर्ष 2018 में 45, वर्ष 2019 में 34 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। प्रेशर हॉर्न पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक 20 प्रकरण दर्ज कर 40,000/- रुपये समन शुल्क प्राप्त हुई। मोडिफाई सायलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक 121 प्रकरण दर्ज कर 6,08,500/- समन शुल्क वसूल की गई। (प्रदर्श आर-1(11) पृष्ठ क्रमांक 01 से 17)

१०

11. माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.07.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के संबंध में उनके द्वारा जारी रिपोर्ट दिनांक 21.07.2023 संलग्न है। प्रदर्श आर-1(12)
12. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के आदेश क्रमांक 244/लाय/फटाका/2022 रायपुर दिनांक 18.10.2022 के द्वारा फटाको के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसीपल बेंच नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश/आदेश का पालन हेतु 05 दल गठित किये गये है, गठित दल को आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए अपने संबंधित थाना क्षेत्र में स्थित फटाका दुकान/स्थल का सम्पूर्ण जांच निरंतर करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रदर्श आर-1(13)
13. कार्यालय कलेक्टर के द्वारा पर्व/त्यौहार के समय फटाका व्यापारियों को आहूत किया जाकर उन्हें माननीय न्यायालय एवं शासन के निर्देशों से अवगत कराया जाता है एवं इसका पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.07.2023 के पृष्ठ क्रमांक 05 में कंडिका 03 में यह लेख किया गया है कि अनावेदक के कार्यालय के द्वारा स्वयं या अन्य के माध्यम से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तत्संबंध में सविनय लेख है कि माननीय न्यायालय की नोटिस में दिनांक 02.05.2023 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण वांछित रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। अनावेदक समय से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में खेद प्रकट करता है। आदेश की कंडिका 04 में अनावेदक के द्वारा विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है कि अनावेदक राज्य शासन एवं न्यायालय के आदेशों का त्वरित पालन करने हेतु तत्पर रहा है। इस कार्यालय को माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति दिनांक 02.05.2023 अप्राप्त रहने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई, जिसके लिए अनावेदक खेद प्रकट करता है।

माननीय न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय में आज दिनांक 08.08.2023 को मय दस्तावेज उपस्थित है।

अनावेदक



कलेक्टर

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,

// नोटिस //

क्रमांक / 1261 / अजिद / ए.एस.डब्ल्यू / 2022

रायपुर दिनांक 24 / 09 / 2022

प्रति,

दुर्गा उत्सव समिति
पता-नहरपारा, पूर्व पार्श्व के मकान
के सामने थाना गंज, रायपुर,
जिला-रायपुर

विषय:- अनाधिकृत पंडाल निर्माण कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल बैंच भोपाल द्वारा जारी आदेश की अखेला कर यातायात अवरुद्ध करने बाबत ।

—0—

उपरोक्त विषयक लेख है कि दिनांक 20.09.2022 को बैठक आयोजित कर जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल स्थापना एवं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल भोपाल द्वारा जारी आदेश/निर्देश से आप लोगो को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया था, परन्तु आपके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर तथा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल भोपाल, द्वारा जारी आदेश/निर्देशो का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत रूप से दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कर सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध कर यातायात बाधित किया जा रहा है।

अतः आप तत्काल अनाधिकृत पूजा पंडाल हटा लेवें अन्यथा आपके विरुद्ध विधि अनुकूल कार्यवाही के साथ अतिक्रमण मानते हुए कार्यवाही की जावेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
रायपुर (सि.म.)

पृ.क्रमांक / 1261 / अजिद / ए.एस.डब्ल्यू / 2022

रायपुर दिनांक 24 / 09 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त नगर पालिक, निगम रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात) रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगर रायपुर को सूचनार्थ।
4. संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित जोन आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ।
6. संबंधित थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
रायपुर



D:\rajshri\2022\OFFICE\Shri Sahu A-S-W\Vividh Letter.doc

(Signature)

Kishore murya - 9522570000

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,

// नोटिस //

क्रमांक / 1262 / अजिद / ए.एस.डब्ल्यू / 2022

रायपुर दिनांक 24 / 09 / 2022

प्रति,

दुर्गा उत्सव समिति
पता-सेक्टर-2, शंकरनगर, गली नंबर-2
लोधीपारा मेन रोड़ रायपुर,

विषय:- अनाधिकृत पंडाल निर्माण कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल बैंच भोपाल द्वारा जारी आदेश की अखेला कर यातायात अवरुद्ध करने बाबत ।

0

उपरोक्त विषयक लेख है कि दिनांक 20.09.2022 को बैठक आयोजित कर जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल स्थापना एवं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल भोपाल द्वारा जारी आदेश/निर्देश से आप लोगो को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया था, परन्तु आपके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर तथा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल भोपाल, द्वारा जारी आदेश/निर्देशो का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत रूप से दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कर सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध कर यातायात बाधित किया जा रहा है।

अतः आप तत्काल अनाधिकृत पूजा पंडाल हटा लेवें अन्यथा आपके विरुद्ध विधि अनुकूल कार्यवाही के साथ अतिक्रमण मानते हुए कार्यवाही की जावेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (स.ग.)

पृ.क्रमांक / 1262 / अजिद / ए.एस.डब्ल्यू / 2022
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 24 / 09 / 2022

1. आयुक्त नगर पालिक, निगम रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात) रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगर रायपुर को सूचनार्थ।
4. संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित जोन आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ।
6. संबंधित थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (स.ग.)



ha\ADM OFFICE\Shri Sahu A-S-W\Vividh Letter.doc

MS
9992402243
मनोर 302

o/c

Annexure R-3 (COLLY)

छत्तीसगढ़ शासन

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय डी.के.एस.भवन, रायपुर

क्रमांक 8390/मु./छ.ग.प.सं.म./2010
प्रति,

रायपुर, दिनांक 06/03/2010

1. सभायासुक्त छत्तीसगढ़

2. पुलिस महानिरीक्षक..... छत्तीसगढ़

विषय :- लाऊड स्पीकर, ध्वनि विस्तारकों एवं वाहनों में लगाये जा रहे सायरन, हूटर व प्रेशर हार्न के उपयोग में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों को कड़ाई से लागू करने के बाबत।

संदर्भ:- श्री रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अर्धशासकीय पत्र क्रमांक क्यू 15022/2/08-सीपीडब्लू दिनांक 04 फरवरी-2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। पत्र शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण से संबंधित है। पत्र के अनुसार ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने है। ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 भी अधिसूचित किए गए हैं। इस नियम में कुछ संशोधन करते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम 2010 अधिसूचित किए गए हैं।

ध्वनि प्रदूषण के संबंध में ही एक सिविल याचिका क्रमांक 72/98 एवं सिविल अपील नंबर 3735 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों एवं उपरोक्त अधिसूचनाओं का पालन सुनिश्चित कराएँ। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारकों के प्रयोग पर आवश्यक नियंत्रण हेतु कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं अथवा इनमें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. लाऊडस्पीकर या माईक सेट का उपयोग बिना जिलादंडाधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना न किया जाये। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य किसी को भी ध्वनि विस्तारक यंत्र या ड्रम (Drum) या टॉम-टॉम (Tom-Tom) या ट्रम्पेट (Trumpet) पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।
3. अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, अदालत, धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फोड़े जाएं। इसी प्रकार इनसे 100

मीटर की दूरी तक प्रेशर हार्न या म्यूजिकल हार्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एम्प्लीफायर का उपयोग प्रतिबंधित है।

4. किसी निजी उपयोग के स्थान की सीमा पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी ध्वनि-यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी सीमा उच्च क्षेत्र के लिए निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता सीमा से पांच डीबीए से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच वाहनों के हार्न का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
6. सभी विकास एवं निर्माण संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं एवं अन्य संबंधित विभाग, प्रगति एवं विकास हेतु की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के दौरान ध्वनि प्रदूषण की निर्धारित सीमाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
7. ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम हेतु प्राधिकृत अधिकारी जिसका की नामांकन राज्य शासन द्वारा किया जाता है, (जो कि किसी भी जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या ऐसा अधिकारी जो कि डी०एस०पी० के नीचे के स्तर का न हो) कार्यवाही कर सकता है।
8. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में 1987 में किये गए संशोधन में वायु प्रदूषण की परिभाषा में शोर को भी शामिल किया गया है। अतः वायु अधिनियम के प्रावधान ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी लागू माने जाते हैं।
9. भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 290 एवं 291 ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हैं, तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु अधिकार सौंपे गए हैं।

यह भी देखा जा रहा है कि, कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें इसकी पात्रता नहीं है, अपने वाहनों में सायरन या हूटर लगा कर समय-असमय उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है एवं नियमों का भी उलंघन होता है।

कृपया आप माननीय न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। आपका इस दिशा में किया गया प्रयास निश्चित रूप से इस समस्या पर प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु एक कारगर प्रयास होगा।

(एन. बैजेंद्र कुमार)
प्रमुख अधिकारी,

पृ.क्रमांक 8391/मु./छ.ग.प.सं.मं./2010
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 06/03/2010

1. जिलाधीश जिला-....., छत्तीसगढ़.
2. पुलिस अधीक्षक -....., छत्तीसगढ़.

(एन. बैजेंद्र कुमार)
प्रमुख अधिकारी,

R4 (C) 1

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

:: ज्ञापन ::

क्रमांक/01/अजिद/एस.डब्ल्यू/16
प्रति,

रायपुर दिनांक 04/01/2016

1. पुलिस अधीक्षक
रायपुर
2. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी - 3485
जिला-रायपुर

विषय :- ध्वनि प्रदूषण(नियमन तथा नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों का कडाई से पालन कराने के संबंध में।

संदर्भ :- प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 4-7/2015/82 दिनांक 28.12.2015

:: 00 ::

संदर्भित पत्र में भारत शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ध्वनि प्रदूषण(नियमन तथा नियंत्रण) नियम 2000 अधिसूचित किये गये हैं। यह नियम दिनांक 14.02.2000 से प्रभावशील है। उक्त नियम में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्राप्त पत्र एवं नियम की छायाप्रति संलग्न हैं। अतः परिवेशीय वायु में ध्वनि स्तर मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु ध्वनि प्रदूषण(नियमन तथा नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/01/अजिद/एस.डब्ल्यू/16
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 04/01/2016

प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कलेक्टर. रायपुर

09 MAR 2016

कलेक्टर/अपर कले/अधीनस्थ

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
Email Id : henv.cg@nic.in

—0000—

कमांक एफ04-07/2015/32

नया रायपुर, दिनांक 05/03/2016

प्रति,

कलेक्टर

जिला रायपुर

विषय :- ध्वनि प्रदूषण (नियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 28.12.2015

—0000—

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश में उल्लेखित बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लेख किया गया है, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

2/ आदेशानुसार कृपया जानकारी तत्काल भिजवाने का कष्ट करें।

ASV
SKW
[Signature]
[Stamp]

[Signature]
(जी.एल.सांकला)
अवर सचिव

242
10-3-16.



R.T - 3

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक ३७५३/२०१५/३२

रायपुर, दिनांक २६/१२/२०१५

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-.....

विषय:- ध्वनि प्रदूषण (नियमन तथा नियंत्रण) नियम, २००० के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के संबंध में।

---:00:---

जैसा कि आपको विदित ही है कि भारत शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, २००० अधिसूचित किये गये हैं। यह नियम दिनांक १४/०२/२००० से प्रभावशील है। सुलभ संदर्भ हेतु नियम की प्रति संलग्न है।

इस नियम के प्रावधानों में नियम के पालन हेतु विहित प्राधिकारी जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर एवं संबंधित नियमों के परिपालन हेतु नामित उच्च पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को बनाया गया है। इसके नियम '८' के प्रावधान में विहित प्राधिकारी को किसी लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, हॉर्न, निर्माण उपकरणों एवं अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों आदि को प्रतिबंधित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक ७२/९८(सी) ऑफ १९९६ एवं सिविल अपील क्रमांक ३७३५ ऑफ २००५ में भी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक ७७/२०१५ (सीजेड) एन. वेदराज विरुद्ध भारत सरकार एवं ०६ अन्य, १०८/२०१५ (सीजेड) शैलेन्द्र सिंह विरुद्ध भारत सरकार एवं ०९ अन्य तथा १०९/२०१५ (सीजेड) होप वेलफेयर सोसायटी विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार एवं ०८ अन्य में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुये दिनांक १४/१०/२०१५ को पारित आदेश में निम्नानुसार का उल्लेख किया गया है:-

"Time and again the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Courts and this Tribunal in the Principal Bench as well as the Zonal Benches have been emphasising the need to curb the use of micro-speakers, loudspeakers, amplifiers, etc. in public places, etc."

6:00am as per EIA notification and Rules under Environment (Protection) Act, 1986. The Administration must come heavily on all defaulting parties and such equipments in the event of such default being noticed should be seized immediately and not returned unless permission is sought from this Tribunal. Continuous monitoring and patrolling by police and homeguard personnel and Zonal Magistrates in this regard is essential as not only the nuisance of noise pollution can be taken care of but at the same time, as it is often reported that unlawful activities in the name of religious festivities antisocial elements who are carried on which would also be curbed to a large extent."

राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि ध्वनि विस्तारक उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण परिवेशीय वायु में निर्धारित ध्वनि स्तर मानकों का उल्लंघन हो रहा है एवं बढ़ता ध्वनि प्रदूषण जनसाधारण के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण भी बन रहा है।

राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि प्रदेश के परिवेशीय वायु में निर्धारित ध्वनि स्तर मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि -


1. परिवेशीय वायु में ध्वनि स्तर मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपने जिले में ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें।
2. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '5' के उपनियम (1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग बिना जिलादंडाधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाये। रात 10 बजे से सुबह 06 बजे के मध्य खुले में लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण, म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट, ध्वनि विस्तारक यंत्र या ड्रम (Drum) या टॉम-टॉम (Tom-Tom) या ट्रम्पेट (Trumpet) पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावे।
3. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '5' के उपनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाये कि जिस सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम अथवा अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का उपयोग हो रहा हो, उसकी सीमा पर ध्वनि स्तर उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर की सीमा से 10 dB(A) अथवा 75 dB(A), जो भी कम हो, से अधिक नहीं हो।
4. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '5' के उपनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जावे कि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक सिस्टम अथवा अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण के उपयोग

उस निजी क्षेत्र की सीमा पर ध्वनि स्तर उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर की सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं हो।

5. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '5ए' के उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार शांत क्षेत्र में अथवा रात्रिकाल में रहवासी क्षेत्र में हॉर्न का उपयोग आपातकालीन स्थितियों के अतिरिक्त नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. प्राधिकारी को नियमानुसार रिपोर्ट मिलने एवं समाधान हो जाने के पश्चात् ध्वनि प्रदूषण के कारण समीपस्थ लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु किसी लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम अथवा अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण, डी.जे. सिस्टम एवं समतुल्य ध्वनि विस्तारक उपकरणों आदि के उपयोग को प्रतिबंधित, नियंत्रित अथवा नियमित करना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '8' के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जावे एवं परिवेशीय वायु में ध्वनि स्तर मानकों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
7. जिले में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने हेतु एक शिकायत केन्द्र की स्थापना की जाकर इसमें जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जावे, जहाँ ध्वनि प्रदूषण संबंधी शिकायतों को दर्ज की जाकर उनका त्वरित निराकरण किया जा सके।
8. जिले में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु दण्डाधिकारियों, पुलिस एवं होमगार्ड्स के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग तथा पेट्रोलिंग कर उपरोक्त का पालन सुनिश्चित कराया जावे। साथ ही ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दूषप्रभाव के संबंध में जनसामान्य को जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जनजागरूकता का कार्यक्रम भी किया जावे।
9. पूर्व में विभाग द्वारा उपरोक्त के संबंध में जारी निर्देश पत्र क्रमांक 8390, दिनांक 06/03/2010 का भी पालन सुनिश्चित किया जावे। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त दिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें।

संलग्न विवरणानुसार।



(अमन कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर¹⁹ एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

Phone no. 0771-2426024

Fax no.. 0771-2220622

Website-raipur.gov.in

Email ID-raipur.cg@nic.in

// ज्ञापन //

क्रमांक/807/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2022

रायपुर, दिनांक 20/05/2022

प्रति,

- 1/ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी,
जिला रायपुर
- 2/ समस्त थाना प्रभारी,
जिला रायपुर

विषय :- बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में कार्यवाही किये जाने बाबत।

- संदर्भ: 1.पीआईएल क. 112/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत निर्देश
2.पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क. एनजीटी/7364, दिनांक 10.08.2016 के माध्यम से दिये गये विस्तृत निर्देश
3.पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क. मुख्या/वैज्ञा/छ.ग.प.स.म/2021/4186, दिनांक 13.09.2021 के माध्यम से समस्त पुलिस अधीक्षकों को दिये गये विस्तृत निर्देश

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बिलासपुर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण संरक्षण मंडल छत्तीसगढ़ जैसी प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा विस्तृत निर्देश पूर्व में जारी किये गये हैं, जिनका कड़ाई से पालन करवाना आवश्यक है।

ध्वनि प्रदूषण चूंकि स्वास्थ्य के लिये घातक है, अतः इन प्राधिकृत संस्थाओं के आदेशों निर्देशों पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाना आवश्यक है। तदनुसार आदेशित किया जाता है कि स्कूल, कालेज, हास्पिटल जैसे संस्थानों जिनसे 100 मीटर के दायरे तक को साइलेंस जोन माना गया है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को सख्ती से रोका जाये, सड़को पर वाहनों में साउंड बाक्स लगाकर चलाई जाने वाली तेज़ आवाज से आमजन के सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही यह कोलाहल अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन भी है, अतः इन पर भी सख्ती से वैधानिक कार्यवाही की जाये। प्रतिबंधित समय में अथवा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों में लाउडस्पीकर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, के प्रकरण क्रमांक सिविल अपील नंबर 3735/2005 एवं रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 72/1998 निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण रहित मानवीय जीवन को प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना है एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को अनुमति योग्य सीमा के भीतर किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिये हैं।



S-W/General letter.doc1802

माननीय उच्च न्यायालय²⁰ बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन (पी.आई.एल) क्रमांक 112/2016 निर्णय दिनांक 06.12.2016 नितिन सिंघवी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) संशोधित नियम 2010 में जारी किये गये ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर नियंत्रण एवं उल्लंघन पर किये जाने वाले कार्यवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19 नया रायपुर के पत्र क्रमांक 5007 ए / मुख्या. / वैज्ञा / छ.ग.प.स.म. / 2016 दिनांक 16.12.2016 द्वारा जारी पत्र के माध्यम से दिये गये दिशा निर्देश व उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये। (प्रतिलिपि संलग्न)

मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की समयावधि, तीव्रता, मोटरयानों से उत्पन्न होने वाले कोलाहल के संबंध में शास्ति एवं शक्ति आदि के संबंध में विस्तृत उपबंध किये गये हैं (जो इस पत्र के साथ संलग्न हैं) के समस्त प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही इस दिशा में की गई कार्यवाही से प्रतिमाह इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-

01. मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985
02. ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000
03. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का रिट पिटीशन (पी.आई.एल क्रमांक 112/2016) का निर्णय।
04. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी निर्देश दिनांक 16.12.2016 की प्रति।

(सौरभ कुमार)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

क्रमांक / 807 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2022
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 20/05/2022

1. मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3. सचिव, पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर को पालनार्थ।



D:\D:\D\General letter.doc1803

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

Annexure R-5

क्रमांक / 59 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2022

रायपुर, दिनांक 23 / 03 / 2022

विद्यार्थियों की पढाई, वृद्धाओं, निःशक्तजनो, रोगियों आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला रायपुर की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 72/98(सी) ऑफ 1998 एवं सिविल अपील क्रमांक 3735 ऑफ 2005 में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिये गये निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 04-07/2015/32 दिनांक 28.12.2015 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं Multi toned horns/pressure horns के साथ साथ डी0जे0 के विरुद्ध जप्तीकरण की कार्यवाही किये जाने तथा सम्यक जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की दल गठित की जाती है। गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण(विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण(विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम, 2010 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगे :-

दल क्रमांक 01

1. श्री देवेन्द्र पटेल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर (मो.नं. 9644573323)
(थाना-गोलबाजार एवं रायपुर नगर निगम सीमा को छोड़कर शेष रायपुर अनुभाग)
2. श्री जयेन्द्र सिंह, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 9111587514)
3. थाना प्रभारी, गोलबाजार, रायपुर
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
5. श्री प्रसन्न सोनकर, सहायक अभियंता, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर

दल क्रमांक 02

1. श्रीमती निधि साहू, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर(मो.नं. 7067723125)
(थाना-गंज, मौदहापारा, विधानसभा)
2. श्री लखेश्वर किरण, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर(मो.नं. 9406206222)
3. थाना प्रभारी, गंज / मौदहापारा / विधानसभा
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
5. श्री मानवेन्द्र शेखर, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर

दल क्रमांक 03

1. डॉ० दिप्ती वर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 9893848950)
(थाना-कोतवाली, माना, तेलीबांधा, जी.आर.पी., खमतराई, उरला)
2. श्री सृजन सोनकर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 7000258095)
3. थाना प्रभारी, थाना -कोतवाली, माना, तेलीबांधा, जी.आर.पी., खमतराई, उरला
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर



121-5893848950 (Official letter.doc)

दल क्रमांक 04

1. श्री मुकेश कोठारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 7999597069)
(थाना-टिकरापारा, डी.डी. नगर, पुरानी बरती, राजेन्द्र नगर, गुढियारी)
2. श्री अभिषेक राठौर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 9329704404)
3. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
4. थाना प्रभारी, थाना टिकरापारा, डी.डी. नगर, पुरानी बरती, राजेन्द्र नगर, गुढियारी,
5. श्री अजय कुमार भगत, रसायनज्ञ, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर

दल क्रमांक 05

1. श्रीमती शिम्मी नाहिद, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर(मो.नं. 6261462769)
(थाना-आजाद चौक, सरस्वती नगर, कवीर नगर, आमानाका)
2. श्री रवि विश्वकर्मा, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 8817857187)
3. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
4. थाना प्रभारी, थाना-आजाद चौक, सरस्वती नगर, कवीर नगर, आमानाका
5. श्री संजय सिंह, सैम्पलर, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर

- टीप :-1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आरंग/अभनपुर/तिल्दा, अपने अनुविभाग क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ ध्वनि प्रदूषण(नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।
2. नियुक्त दल कृत कार्यवाही से प्रत्येक 07 दिवस के अंतराल में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)

रायपुर, दिनांक 23/03/2022

पृ. क्रमांक 59/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2022
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. सर्व नगर पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर/आरंग/अभनपुर/तिल्दा की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण निवारण मंडल, रायपुर की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. संबंधितों की ओर तत्काल पालनार्थ प्रेषित ।



कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक / 21 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2017

रायपुर, दिनांक 13/01/2017

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 72/98(सी) ऑफ 1998 एवं सिविल अपील क्रमांक 3735 ऑफ 2005 में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिये गये निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 04-07/2015/32 दिनांक 28.12.2015 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा असम्यक जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की दल गठित की जाती है। दल अपने-अपने स्थानों में ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का पालन करते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

दल क्रमांक 01

1. श्री बी.एल. गजपाल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर
2. संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक
3. श्री दिनेश पटेल, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायपुर

दल क्रमांक 02

1. श्री आर.बी. देवांगन, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर
2. संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक
3. श्री दिनेश पटेल, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायपुर

दल क्रमांक 03

1. श्री संजय कुमार दीवान, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर
2. संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक
3. श्री साहू, कंमिस्ट, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायपुर

दल क्रमांक 04

1. श्री हरबंश सिंह मिरी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर
2. संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक
3. श्री साहू, कंमिस्ट, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायपुर

दल क्रमांक 05

1. श्री एम.आर.जंघेल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर
2. संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक
3. श्री खन्ना, प्रयोगशाला सहायक, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायपुर

ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) के द्वारा ध्वनि प्रदूषण(नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)

पृ. क्रमांक 21/जे.दि./एस.डब्ल्यू/2017 रायपुर, दिनांक 3/01/2017
प्रतिलिपि :-

रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रायपुर/आरंग/अमनपुर की ओर प्रेषित।

रायपुर की ओर प्रेषित।

5. संबंधितों को प्रेषित।


जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)^{R 1(6A)}

// आदेश //

क्रमांक / 599 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2022

रायपुर, दिनांक 23 / 03 / 2022

विद्यार्थियों की पढाई, वृद्धाओं, निःशक्तजनो, रोगियों आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला रायपुर की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 72/98(सी) ऑफ 1998 एवं सिविल अपील क्रमांक 3735 ऑफ 2005 में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिये गये निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 04-07/2015/32 दिनांक 28.12.2015 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं Multi toned horns/pressure horns के साथ साथ डी0जे0 के विरुद्ध जप्तीकरण की कार्यवाही किये जाने तथा सम्यक जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की दल गठित की जाती है। गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण(विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण(विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम, 2010 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगे :-

दल क्रमांक 01

1. श्री देवेन्द्र पटेल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर (मो.नं. 9644573323)
(थाना-गोलबाजार एवं रायपुर नगर निगम सीमा को छोड़कर शेष रायपुर अनुभाग)
2. श्री जयेन्द्र सिंह, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 9111587514)
3. थाना प्रभारी, गोलबाजार, रायपुर
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
5. श्री प्रसन्न सोनकर, सहायक अभियंता, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर

दल क्रमांक 02

1. श्रीमती निधि साहू, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर(मो.नं. 7067723125)
(थाना-गंज, मौदहापारा, विधानसभा)
2. श्री लखेश्वर किरण, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर(मो.नं. 9406206222)
3. थाना प्रभारी, गंज/मौदहापारा/विधानसभा
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
5. श्री मानवेन्द्र शेखर, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर

दल क्रमांक 03

1. डॉ० दिप्ती वर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 9893848950)
(थाना-कोतवाली, माना, तेलीबांधा, जी.आर.पी., खमतराई, उरला)
2. श्री सृजन सोनकर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 7000258095)
3. थाना प्रभारी, थाना -कोतवाली, माना, तेलीबांधा, जी.आर.पी., खमतराई, उरला
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
5. श्री चंद्र साहू, केमिस्ट, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर



दल क्रमांक 04

1. श्री गुकेश कोठारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 7999597069)
(थाना-टिकरापारा, डी.डी. नगर, पुरानी वरती, राजेन्द्र नगर, गुढियारी)
2. श्री अभिषेक राठौर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 9329704404)
3. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
4. थाना प्रभारी, थाना टिकरापारा, डी.डी. नगर, पुरानी वरती, राजेन्द्र नगर, गुढियारी,
5. श्री अजय कुमार भगत, रसायनज्ञ, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर

दल क्रमांक 05

1. श्रीमती शिम्मी नाहिद, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर(मो.नं. 6261462769)
(थाना-आजाद चौक, सरस्वती नगर, कवीर नगर, आमामाका)
2. श्री रवि विश्वकर्मा, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 8817857187)
3. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
4. थाना प्रभारी, थाना-आजाद चौक, सरस्वती नगर, कवीर नगर, आमामाका
5. श्री संजय सिंह, सैम्पलर, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर

- टीप :-1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आरंग/अभनपुर/तिल्दा, अपने अनुविभाग क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ ध्वनि प्रदूषण(नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत, कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।
2. नियुक्त दल कृत कार्यवाही से प्रत्येक 07 दिवस के अंतराल में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर(छ0ग0)

रायपुर, दिनांक 23/03/2022

पृ. क्रमांक 159/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2022
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. सर्व नगर पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर/आरंग/अभनपुर/तिल्दा की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण निवारण मंडल, रायपुर की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. सर्व संबंधितों की ओर तत्काल पालनार्थ प्रेषित ।



कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर(छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

Phone no. 0771-2426024

Fax no.. 0771-2220622

Website-raipur.gov.in

क्रि.सं. 107/504/18-7

रायपुर
र-1 - 3

6102/11/2019

// ज्ञापन //

क्रमांक / 1137 अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2021
प्रति,

रायपुर, दिनांक 06/10/2021

पुलिस अधीक्षक
रायपुर

Annexure R-7

- विषय:- ध्वनि प्रदूषण पर की गई शिकायत के संबंध में कार्यवाही बाबत।
सन्दर्भ:- 1. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ विलासपुर के रिट पिटीशन (पी.आई.एल.)
क्रमांक 112/2016 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016
2. छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति, रायपुर द्वारा की गई शिकायत दिनांक 01.
10.2021

-- 0 --

विषयांतर्गत संदर्भित रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ विलासपुर के द्वारा Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 की धारा 2(ए) एवं Noise (Pollution and control) Rule 2000 के नियम 3, 4, 5 में वर्णित प्रावधानों के तहत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निर्देश जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन एवं राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारी पक्षकार है।

शिकायतकर्ता के द्वारा इस आशय की शिकायत की गई है कि गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान माह सितम्बर 2021 में डी0जे0 धुमाल एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हुए विसर्जन जुलूस निकाले गये, जो माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश का उल्लंघन है।

इस कार्यालय के द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 1075 दिनांक 18.09.2021 जिसमें गणेश विसर्जन के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये थे, में भी डी0जे0 धुमाल एवं अन्य विस्तारक यंत्रों के उपयोग को न्यूनतम राउण्ड में नियत स्थल के 100 मीटर के परेडि के अंतर्गत प्रयोग की अनुमति दिया गया था, परन्तु निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

अतः उक्त शिकायत पर जांच कर प्रभावी कार्यवाही करेंगे एवं भविष्य में विभिन्न अवसरों पर माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार कार्यवाही करने के लिए अधीनस्थ को निर्देशित करेंगे तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

रायपुर, दिनांक 06/10/2021

पृ० क्रमांक / 1137 अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2021
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर/ग्रामीण/यातायात, रायपुर की ओर पालनार्थ।
3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर/आरंग/अभनपुर की ओर पालनार्थ।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं वाहन के प्रकार में परिवर्तन कर डी0जे0 धुमाल बनाये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु पालनार्थ।
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति, एफ-8, पिक सिटी, न्यू गायत्री नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

R1(8)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

Annexure R-8

क्रमांक/1506/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2022

रायपुर, दिनांक 30/12/2022

विद्यार्थियों की पढाई, वृद्धाओं, निःशक्तजनो, रोगियों आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला रायपुर की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 72/98(सी) ऑफ 1998 एवं सिविल अपील क्रमांक 3735 ऑफ 2005 में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिये गये निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 04-07/2015/32 दिनांक 28.12.2015 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं Multi toned horns/pressure horns के साथ साथ डी0जे0 के विरुद्ध जप्तीकरण की कार्यवाही किये जाने तथा सम्यक जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की दल गठित की जाती है। गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण(विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण(विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम, 2010 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगे :-

दल क्रमांक 01

1. श्री देवेन्द्र पटेल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर (मो.नं. 9644573323)
(थाना-गोलबाजार एवं रायपुर नगर निगम सीमा को छोड़कर शेष रायपुर अनुभाग)
2. श्री राजकुमार साहू, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 9407700709)
3. थाना प्रभारी, गोलबाजार, रायपुर
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
1. श्री अभय कुमार मिश्रा, रसायनज्ञ, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर (मो.नं. 8778589474)

दल क्रमांक 02

1. श्रीमती निधि साहू, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर(मो.नं. 7067723125)
(थाना-मौदहापारा, गंज, राजेन्द्र नगर, महिला थाना)
2. श्री प्रमोद पटेल, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर(मो.नं. 7806036020)
3. थाना प्रभारी, मौदहापारा, गंज, राजेन्द्र नगर, महिला थाना
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
2. श्री एस.के.चौधरी, उप अभियंता, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर (मो.नं. 9993856320)

दल क्रमांक 03

1. डॉ0 दिप्ती वर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 9893848950)
(थाना-पुरानी बस्ती, टिकरापारा, डी.डी.नगर, तेलीबांधा, सरस्वती नगर, आजाद चौक, आमनाका, कबीर नगर)
2. श्री सृजन सोनकर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 7000258095)
3. थाना प्रभारी, थाना- पुरानी बस्ती, टिकरापारा, डी.डी.नगर, तेलीबांधा, सरस्वती नगर, आजाद चौक, आमनाका, कबीर नगर
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
3. श्री खेमचंद साहू, केमिस्ट, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर (मो.नं. 9575788780)



दल क्रमांक 04

4. सुश्री रूचि शर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 8889862888)
(थाना-सिटी कोतवाली, सिविल लाईन, पंडरी, देवेन्द्र नगर, खम्हारडीह)
1. श्री विक्रान्त राठौर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 9131580227)
2. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
3. थाना प्रभारी, थाना सिटी कोतवाली, सिविल लाईन, पंडरी, देवेन्द्र नगर, खम्हारडीह,
5. श्री अजय कुमार भगत, रसायनज्ञ, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर (मो.नं. 7000408489)

दल क्रमांक 05

1. श्री जगन्नाथ वर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 9425585323)
(थाना- खमतराई, माना, जी.आर.पी., उरला, विधानसभा, गुढियारी, सेजबहार)
2. श्री प्रवीण परमार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 7999870075)
3. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
4. थाना प्रभारी, थाना- खमतराई, माना, जी.आर.पी., उरला, विधानसभा, गुढियारी, सेजबहार
5. श्री संजय सिंह, सैम्पलर, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर(मो.नं. 9826615350)

- टीप :-1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आरंग/अभनपुर/तिल्दा, अपने अनुविभाग क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ ध्वनि प्रदूषण(नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।
2. नियुक्त दल कृत कार्यवाही से प्रत्येक 07 दिवस के अंतराल में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



जिला दण्डाधिकारी
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)

रायपुर, दिनांक 30/12/2022

पृ. क्रमांक 1506 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2022
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सर्व नगर पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर/आरंग/अभनपुर/तिल्दा की ओर पालनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण निवारण मंडल, रायपुर की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व संबंधितों की ओर तत्काल पालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)

R(1)(9)

पृ.क्र. 01 से 27

:: कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर (छ0ग0) ::

क्रमांक/उमनि/वपुअ/राय/रीडर-1/एम-149/2023 दिनांक 7.04.2023
प्रति,जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

कलेक्टर, रायपुर
ADM
11.7 APR 2023
कलेक्टर/अपर कले./अधीक्षक

विषय :- कोलाहल अधिनियम के संबंध में।

---00---

कृपया जिले के थानों में दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 की स्थिति में जिला में कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की सूची संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :- सूची.

Shree
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जिला-रायपुर

वचि

A.S.W.

~~अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (छ.ग.)~~

138

D.S. Prasad
Prasad

-:: कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी दिनांक 01.10.2022 से 31.01.2023 तक की स्थिति में :: -

क्रमांक	वर्ष	थाना	कार्यवाही दिनांक एवं घटनास्थल	कार्यवाही (इस्त. क. एवं धारा)	जप्त की गई सामग्री	अनावेदक/आरोपी का नाम	वाहन क्रमांक	क्या वाहन कमर्शियल ?	कोर्ट में निराकरण (fine) इत्यादि	रिमार्क (अन्य कोई जानकारी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	2022	गज	04.10.2022 लाल चौक देवेन्द्र नगर रायपुर	07/2022 कोलाहल अधि० 1985 की धारा 4, 5, 15	01 नग डी.जे.बॉक्स 250 यूनिट, 01 नग एम्प्लीफायर 250 यूनिट	रवि शर्मा पिता रमेश चंद्र उम्र 35 वर्ष सा० आदर्श नगर मोवा पण्डरी रायपुर	-	-	1000/- ₹०	-
02	2022	सिविल लाइन	06.10.2022 काली मंदिर के पास रायपुर	06/2022 कोलाहल अधि० 1985 की धारा 4, 5, 15	06 नग साउंड बॉक्स, 01 नग एम्प्लीफायर, 03 माउसपेड, 01 मिक्सर सप्लायर	सुमित नंदी पिता नारायण नंदी उम्र 26 साल सा० माना कैम्प न्यू मार्केट सोनू नंद पिता नारायण नंदी उम्र 24 साल सा० माना कैम्प न्यू मार्केट रायपुर	पिकअप वाहन सी०जी० 04 एच. एस. 9122	कमर्शियल	1000/- ₹०	-
03	2022	अमनपुर	07.10.2022 पुलिस थाना मोड बस्ती के पास	01/2022 कोलाहल अधि० 1985 की धारा 4, 5, 15	02 एम्प्लीफायर, 04 बॉक्स, 02 लाउडस्पीकरण	जितेन्द्र साहू पिता सीता राम उम्र 27 वर्ष सा० उपरवारा रायपुर	-	-	लंबित	-
04	2022	सिविल लाइन	22.11.2022 मोतीबाग के पास रायपुर	07/2022 कोलाहल अधि० 1985 की धारा 4, 5, 15	01 साउंड सिस्टम, 07 एम्प्लीफायर, 04 स्टेपलाईजर, 06 साउंडबॉक्स, 12 डिस्को लाइट, 31 नग पोंगा	गुरुप्रित सिंग पिता गुरु नाम सिंग उम्र 27 साल सा० जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी पावर हाउस भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग	पिकअप वाहन सी०जी० 07 बी. एस. 2898	कमर्शियल	1000/- ₹०	-
05	2022	सिविल लाइन	22.11.2022 बंजारी बाबा मजार के पास रायपुर	08/2022 कोलाहल अधि० 1985 की धारा 4, 5, 15	02 साउंड बॉक्स, 02 टॉप, 02 पोंगा, 08 शार्पी लाइट, 01 जनरेटर, 02 एम्प्लीफायर	भीखू निर्मलकर पिता लंबु निर्मलकर उम्र 35 साल सा रसमड़ा शीतला नगर दुर्ग	पिकअप वाहन सी०जी० 07 बी. एस. 0767	कमर्शियल	1000/- ₹०	-
06	2022	गोलबाजार	23.11.2022 एवरग्रीन चौक के पास गोलबाजार	05/2022 धारा 3, 5 कोलाहल अधिनियम	08 नग चोंगा, 03 नग बॉक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	संचालक, सिद्धी धुमाल पार्टी राजू मानिकपुरी पिता जगमोहन उम्र 36 साल सा० सीएसएवी गेट जगन्नाथ चौक, कृष्ण नगर गृहियारी रायपुर	-	-	1000/- ₹०	-
07	2022	गोलबाजार	23.11.2022 मालवीय रोड गोलबाजार	06/2022 धारा 3, 5 कोलाहल अधिनियम	08 नग चोंगा, 03 नग बॉक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	संचालक, अम्बे धुमाल पार्टी यश भारती पिता राज मोहन उम्र 30 वर्ष सा० पुजारी नगर टिकरापारा रायपुर	-	-	1000/- ₹०	-
	2023	गोलबाजार	15.01.2023 एवरग्रीन चौक शास्त्री मार्केट	01/2023 धारा 3, 5 कोलाहल अधिनियम	08 नग चोंगा, 03 नग बॉक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	संचालक, गौरी कृपा धुमाल पार्टी विनोद सोनी पिता विष्णु सोनी उम्र 34	-	-	1000/- ₹०	-

						साल पता बेजनाथपारा कोतवाली रायपुर				
09	2023	गोलबाजार	15.01.2023 चिकनी मंदिर मालवीय रोड	02/2023 धारा 3, 5 कोलाहल अधिनियम	08 नग चांगा, 03 नग बॉक्स, 01 नग एम्प्लोफायर	सचालक, गौरी कृपा धुमाल पार्टी कमलेश साहम पिता होलाराम उम्र 37 साल पता मुर्दा भट्टी बांधी नगर गुदियारी रायपुर	-	-	1000/- रु०	-
10	2023	कवीर नगर	17.01.2023 सामुदायिक भवन के पास कवीर नगर रायपुर	01/2023 कोलाहल अधि० 1985 की धारा 4, 5, 15	साउंड सिस्टम एव टाटा 407 वाहन क० सी.जी. 04 ई 4597	यशवत पटेल पिता स्व. राजकुमार पटेल उम्र 34 वर्ष सा० प्रोफेसर कॉलोनी पुरानी बस्ती रायपुर रवि साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 24 वर्ष सा० जिला बालोद	टाटा 407 वाहन सी.जी. 04 ई 4597	-	1000/- रु०	-
11	2023	राखी	28.01.2023 सेक्टर 28 ई.डब्ल्यू. एस. कॉलोनी नवागांव नवा रायपुर	01/2023 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 एम्प्लोफायर, 02 नग साउंड बॉक्स	सगर बर्मन पिता टेसुराम बर्मन उम्र 24 वर्ष सा० ग्राम गोउत्री सिवनी थाना मंदिर हसौद रायपुर	-	-	1000/- रु०	-

-:: कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी दिनांक 01.02.2023 से 31.03.2023 तक की स्थिति में :: -

क्रमांक	वर्ष	थाना	कार्यवाही दिनांक एवं घटनास्थल	कार्यवाही (इस्त. क. एवं धारा)	जप्त की गई सामग्री	अनावेदक/आरोपी का नाम	वाहन क्रमांक	क्या वाहन कमर्शियल ?	कोर्ट में निराकरण (fine) इत्यादि	रिमार्क (अन्य कोई जानकारी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	2023	सरस्वती नगर	10.02.2023	4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम	02 नग स्पीकर साउंड	अनुराग जैन पिता गजाधर जैन उम्र 28 वर्ष सा0 प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 02 पुरानी बस्ती रायपुर	-	-	1000/- रू0	-
02	2023	सरस्वती नगर	21.02.2023	4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम	साउंड सिस्टम	विकल्प चकोले पिता प्रभाकर चकोले उम्र 22 साल सा0 महोबा बाजार आमनाका रायपुर	डीआई क. सी.जी. 04 जे.सी. 1953	कमर्शियल	1000/- रू0	-
03	2023	गंज	15.02.2023 के 21:40 बजे फाफाडीह चौक	4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम	लाउड स्पीकर पोंगा 06 नग, बॉक्स 03 नग, एम्प्लीफायर 02 नग	दिनेश साहू पिता स्व. पंचराम साहू उम्र 37 साल सा0 अशोक नगर गुड़ियारी रायपुर	टाटा एस क. सी.जी. 04 डी 1413	-	1000/- रू0	-
04	2023	माना कैम्प	18.02.2023 के 23:40 बजे ग्राम धरमपुरा शिव मंदिर के पास	4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम	टाटा एस पिकअप सी.जी. 07 बी.एल. 6960 में 27 नग छोटे-बड़े चोंगा 04 नग हाथ निर्मित डिसिमल बॉक्स	राहुल कुमार कुंजाम पिता राजेन्द्र कुंजाम उम्र 24 साल सा0 बजरंग नगर कण्डरापारा दुर्ग	सी.जी. 07 बी.एल. 6960	कमर्शियल	1000/- रू0	-
05	2023	आजाद चौक	19.02.2023 आमापारा चौक के पास आजाद चौक रायपुर	इस्त0 क0 01/23 4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम	वाहन क0 सी. जी. 04 जे.एम. 4561	बालाराम साहू पिता गोविंद राम साहू उम्र 30 वर्ष सा0 श्यामनगर थाना तेलीबांधा रायपुर	सी.जी. 04 जे.एम. 4561	कमर्शियल	2000/- रू0	-
06	2023	कोतवाली	06.02.2023	इस्त0 क0 01/23	01 नग चोंगा	यश भारती पिता राजमोहन भारती	-	-	1000/- रू0	-

40

				3, 5, 15 कोलाहल अधिनियम		उम्र 30 वर्ष सा0 पुजारी नगर टिकरापारा रायपुर				
07	2023	कोतवाली	02.03.2023	3, 5, 15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 साउंड बॉक्स, 01 नग स्पीकर	तोरण साहू पिता शिव कुमार साहू उम्र 32 वर्ष सा0 रामदरवार चौक कोटा थाना सरस्ती नगर रायपुर	मेटाडोरा सी. जी. 07 बी. आर. 8557	-	1000/- रू0	-

50

प्रेशर हार्न एवं मॉडिफाईड सायलेंसर पर की गयी कार्यवाही की जानकारी माहवार जानकारी

क्रमांक	वर्ष	थाना	प्रकरण क्र. /दिनांक	घारा एमवीएक्ट	घटना स्थल	चालक का नाम व पता	वाहन का प्रकार एवं नंबर	कार्यवाही का विवरण	समन शुल्क
1	फरवरी 2023	भनपुरी	660/2023 16. .02.2023	119(2)	भनपुरी तिराहा	कैलाश पिता तुकाराम सा. नासिक (महाराष्ट्र)	MH15FV7097 MAJDA	प्रेशर हार्न	2000
2	फरवरी 2023	भनपुरी	718/2023 23. 02.2023	119(2)	भनपुरी तिराहा	मुकेश पिता विनय साकिन कोलकाता	OR05AR1569 TRUCK	प्रेशर हार्न	2000
3	फरवरी 2023	तेलीवांघा	421/2023 01-02-2023	182 ए(4) 5/180	तेलीवांघा चौक	कवेश पोपतानी पिता अमरजीत पोपतानी साकिन अवंति बिहार रायपुर	CG04NX7890 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	6000
4	फरवरी 2023	पचपेड़ीनाका	445/23 06- 03-2023	119(2)	पचपेड़ीनाका	एस.के. ए. खान पिता फकीर खान साकिन सालूर आंध्रप्रदेश	CG04AP35Y 6519 TRUCK	प्रेशर हार्न	2000
5	मार्च 2023	टाटीबंध	21.03.2023	182 ए(4)	रायपुरा चौक	रतीश तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी अमलेश्वर	CG10Y3579 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
6	मार्च 2023	टाटीबंध	21-03-2023	182 ए(4)	रायपुरा चौक	दिलीप कुमार पिता राज सिंह साकिन रायपुरा	CG10Y3966 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
7	मार्च 2023	तेलीवांघा	1197/2023 2 4-03-2023	119(2)	तेलीवांघा चौक	निखिल कुमार गुप्ता पिता संतोश गुप्ता साकिन रायपुर	CG15DX2677 MOTOR CYCLE	प्रेशर हार्न	2000
8	मार्च 2023	पचपेड़ीनाका	704/23 28- 03-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	यशराज पिता अनिल पता साकिन कवर्धा	CG04M1145 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
9	मार्च 2023	भनपुरी	899/2023 17. 03.2023	119(2)	भनपुरी तिराहा	वालाराम पिता देवलाल सिंह साकिन डीडिनगर कोटा	CG19BM6124 TRUCK	प्रेशर हार्न	2000
10	अप्रैल 2023	भनपुरी	1456/23 05. 04.2023	182 ए(4)	खमतलाई थाना के पास	नवीन किशोर पिता नीलमणी साकिन सन्यासी पारा रायपुर	AP20AS8586 MOTORCYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000

11	अप्रैल 2023	भनपुरी	1484/2023 05. 04.2023	182 ए(4)	खमतराई बाजार	रविकुमार पिता बृजकिशोर साकिन कोटा रायपुर	CG07BX0295 MOTORCYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
12	अप्रैल 2023	भनपुरी	1485/2023 05. 04.2023	182 ए(4)	खमतराई बाजार	आदित्य सिंह पिता जनदिन सिंह साकिन देवेन्द्र नगर रायपुर	CG04KT6668 MOTORCYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
13	अप्रैल 2023	भनपुरी	1497/2023 05. 04.2023	182 ए(4)	खमतराई धाना के पास	गुलाम हुसैन पिता गुलाम रतुल, साकिन संतोशी नगर रायपुर	CG04MW6980 MOTORCYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
14	अप्रैल 2023	भनपुरी	1498/2023 05. 04.2023	182 ए(4)	खमतराई बाजार	एजेन्द्र सिंह पिता गुरुजीत सिंह साकिन हीरापुर रायपुर	CG04LD9081 MOTORCYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
15	अप्रैल 2023	भनपुरी	1738/2023 12. 04.2023	119(2)	खमतराई बाजार	मुन्ना लाल पिता भवानी सिंह साकिन किरौना बाद	UP83CT7477 METADOR	प्रेशर हार्न	2000
16	अप्रैल 2023	शारदा चौक	1478/23 05 04.2023	182 ए(4), 39/192	जयस्तंभ चौक	उमेश वर्मा पिता सीपी वर्मा साकिन बीरगांव रायपुर	SOLD	मोडिफाइड सायलेंसर	6000
17	अप्रैल 2023	शारदा चौक	1479/23 05.04 2023	182 ए(4), 146/196, 190(2)	जयस्तंभ चौक	यशवंत सोनी पिता श्री सुदर्शन सोनी साकिन गोलचौक डीडिनगर रायपुर	CG10NC3861 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर, ध्वनि प्रदूषण, बिना बीमा	7300
18	अप्रैल 2023	शारदा चौक	1481/2023 05. 04.2023	119(2)	जयस्तंभ चौक	जुनेद अनवर पिता श्री अनवर साकिन मौदहापारा रायपुर	CG06CR9002 MOTOR CYCLE	प्रेशर हार्न	2000
19	अप्रैल 2023	शारदा चौक	1482/2023 05. 04.2023	182 ए(4)	जयस्तंभ चौक	कोमल यादव पिता बाबूलाल यादव साकिन अमलीडीह रायपुर	CG04LH6395 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
20	अप्रैल 2023	शारदा चौक	1483/2023 05. 04.2023	182 ए(4)	जयस्तंभ चौक	मृत्युंजय तिवारी पिता स्व. हरिशचंद्र तिवारी साकिन रायपुर	CG04KR5821 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000

21	अप्रैल 2023	शारदा चौक	1486/2023 05. 04.2023	182 ए(4)	शास्त्री चौक	मोहम्मद असलम पिता श्री मोहम्मद अरमान साकिन मौदहापारा रायपुर	CG04HM5495 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
22	अप्रैल 2023	शारदा चौक	1487/2023 05. 04.2023	182 ए(4)	शास्त्री चौक	अश्विन कलश पिता जगदीश कलश साकिन शैलेन्द्र नगर रायपुर	CG04W6322 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
23	अप्रैल 2023	टाटीबंध	3/4/2023	182 ए(4)	रायपुरा चौक	उनस लखौटिया पिता सौरभ लखौटिया रायपुर	CG04LD6001 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
24	अप्रैल 2023	टाटीबंध	3/4/2023	182 ए(4), 185	रायपुरा चौक	उमेश सोनकर पिता तुकाराम सोनकर सुंदर नगर रायपुर	CG04LM1770 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर एवं शराव सेवन	15000
25	अप्रैल 2023	टाटीबंध	5/4/2023	182 ए(4)	रायपुरा चौक	रिंकु कुमार पिता ओपिन जगत साकिन तेलीबांधा रायपुर	CG04MT8763 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
26	अप्रैल 2023	टाटीबंध	5/4/2023	182 ए(4)	टाटीबंध चौक	रोहित कुमार पिता जयलाल प्रसाद साकिन सेक्टर 04 भिलाई	CG07BE6242 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	पेडिंग
27	अप्रैल 2023	टाटीबंध	5/4/2023	182 ए(4)	रायपुरा चौक	किशोर ठाकुर पिता स्व. गजानंद ठाकुर साकिन अमलेश्वर	CG12AQ2400 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
28	अप्रैल 2023	टाटीबंध	5/4/2023	182 ए(4)	रायपुरा चौक	बसंत पटेल पिता चमर सिंह पटेल साकिन मोवा रायपुर	CG04LK3935 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
29	अप्रैल 2023	टाटीबंध	5/4/2023	182 ए(4)	टाटीबंध चौक	देवकुमार साहू पिता दिनूराम साहू उम्र-29 साल साकिन परसदा दुर्ग	CG07BL2371 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
30	अप्रैल 2023	टाटीबंध	5/4/2023	182 ए(4)	टाटीबंध चौक	गोविंद राम पिता हरमान सिंह साकिन चौवे कालोनी रायपुर	CG07BX6001 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000

31	अप्रैल 2023	टाटीबंध	7/4/2023	182 ए(4)	टाटीबंध चौक	रविन्द्र यदु पिता स्वर्गीय राजेश कुमार साकिन पुरानी बस्ती रायपुर	CG04MQ8502 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
32	अप्रैल 2023	टाटीबंध	5/4/2023	182 ए(4)	टाटीबंध चौक	सुकदेव पिता वासुदेव राजेन्द्र नगर विलासपुर	CG04ME 3849 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	पेडिंग
33	अप्रैल 2023	टाटीबंध	5/4/2023	182 ए(4)	टाटीबंध चौक	सोनित साहू पिता सनत साहू साकिन भिलाई	CG07BL9760 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
34	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1623/2023 05-04-2023	182 ए(4)	राजेन्द्र नगर अंडरब्रिज	योगेश प्रितवानी पिता किशोर प्रितवानी साकिन राजेन्द्र नगर	MH49AN9203 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
35	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1624/23 05-04-2023	182 ए(4)	राजेन्द्र नगर अंडरब्रिज	प्रदीप सिंह पिता पंचम सिंह साकिन कांशीराम नगर	CG04HK4817 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
36	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1626/23 05-04-2023	182 ए(4)	शंकर नगर	मानिक सिंह यादव पिता धिरेन्द्र सिंह यादव रायपुर	CG04LE7187 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
37	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1627/23 05-04-2023	182 ए(4)	शंकर नगर	शिवगोविंद शर्मा पिता रामकरन शर्मा कचना रायपुर	CG04MK8009 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
38	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1628/23 05-04-2023	182 ए(4)	शंकर नगर	सौरभ मुखर्जी पिता एन.सिंह मुखर्जी शंकर नगर रायपुर	CG04NZ7655 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
39	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1630/23 05-04-2023	182 ए(4)	राजेन्द्र नगर अंडरब्रिज	गुरुचरन सिंह पिता सुजीत सिंह श्याम नगर रायपुर	CG04ME8236 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
40	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1634/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलीबांधा चौक	अर्जुन मोहंती पिता अनंत मोहंती रायपुर	CG04MF8147 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
41	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1635/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलीबांधा चौक	प्रेमचंद पिता मेघराम साहू रायपुर	CG10AP9197 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
42	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1636/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलीबांधा चौक	आनेश्वर यादव पिता सायराम यादव साकिन वेमेतरा	CG04MD8481 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000

43	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1637/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलीबांधा चौक	परस चौधरी पिता लालजी चौधरी रायपुर	CG04HC2951 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
44	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1647/23 05-04-2023	182 ए(4)	राममंदिर टर्निंग	योगेन्द्र चंद्राकर पिता पुरशोत्तम चंद्राकर रायपुर	CG04ML3840 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
45	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1648/23 05-04-2023	182 ए(4)	राममंदिर टर्निंग	कृष्णा विश्वकर्मा पिता भगवानदास विश्वकर्मा रायपुर	CG04LX0918 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
46	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1651/23 05-04-2023	182 ए(4)	राममंदिर टर्निंग	यशवंत दुबे पिता संजय दुबे प्रोफेसर कालोनी रायपुर	CG04NZ9486 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
47	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1659/23 05-04-2023	182 ए(4)	शंकर नगर अंडरब्रिज	शिखर छरन पिता शंकर छरन साकिन अवंति बिहार	CG17KR8349 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
48	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1660/23 05-04-2023	182 ए(4)	शंकर नगर अंडरब्रिज	नवीन कुमार पिता मेघाराम साकिन अवंति बिहार	CG04LM5103 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
49	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1661/23 05-04-2023	182 ए(4)	शंकर नगर अंडरब्रिज	रवि टंडन पिता राकीलाल टंडन साकिन सड्डू रायपुर	CG07BL4720 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
50	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1662/23 05-04-2023	182 ए(4)	शंकर नगर अंडरब्रिज	पंकज गुप्ता पिता आनंद गुप्ता भावना नगर रायपुर	CG04MY4150 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
51	अप्रैल 2023	तेलीबांधा	1663/23 05-04-2023	182 ए(4)	शंकर नगर अंडरब्रिज	निखील लालवानी पिता लेटराज लालवानी साकिन रायपुर	CG04HP1284 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
52	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	827/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	डोमेश साहू पिता दुलार साहू साकिन पचपेड़ीनाका रायपुर	CG04MZ0407 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
53	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	828 /23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	सुजीत पिता लंबोदर साकिन दुर्ग	OD19N8972 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
54	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	829 /23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	ललित पिता सेवाराम साकिन टिकरापारा रायपुर	CG04NH8328 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
55	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	830/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	अमन पिता संतोष साकिन मंदिर हसौद	CG04LW4417 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000

56	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	831/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	विस्मय पिता झंगलूराम अमलीडीह रायपुर	CG04NF4023 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
57	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	832/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	अविनाश पिता मोहन गुडियारी रायपुर	CG04ML4984 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
58	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	833/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	सिद्धार्थ पिता भोला सिंह साकिन सेजवहार रायपुर	CG04NP3900 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
59	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	834/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	कन्हैयालाल पिता देवाराम बोरियाखुर्द रायपुर	CG04HZ4005 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
60	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	835/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	देवाशीष पिता कमल साकिन पचपेड़ीनाका रायपुर	CG04NL1328 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
61	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	836/23 05-04-2023	182 ए(4), 146/196	एमएमआई चौक	गौरव पिता स्व. सुरेश साकिन कमल बिहार रायपुर	CG04HA7827 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर बिना बीमा	7000
62	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	837/23 05-04-2023	182 ए(4)	एमएमआई चौक	दीपक कुमार पिता शिवलाल साकिन कैलाशपुरी रायपुर	CG04LE3151 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
63	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	838/23 05-04-2023	182 ए(4)	एमएमआई चौक	सागर पिता त्रिपुरेश साकिन देवपुरी रायपुर	CG16LK1865 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर एवं रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन	6000
64	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	839/23 05-04-2023	182 ए(4)	एमएमआई चौक	आशीष पिता विट्ठल साकिन मठपारा रायपुर	CG04LZ1981 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
65	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	842/23 05-04-2023	182 ए(4), 3/181	पचपेड़ीनाका	आर. देवांगन पिता के.सी. देवांगन पचपेड़ीनाका रायपुर	CG04HV5663 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर एवं बिना लायसेंस	6000
66	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	843/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	डी.पी. शर्मा पिता घनश्याम शर्मा रायपुर	CG04LZ2890 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
67	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	844/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	रितेश पिता शिवु रायपुर	CG04MH3156 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000

68	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	845/23 05-04-2023	182 ए(4), 3/181, 39/192	पचपेड़ीनाका	फेजल पिता फिरोज वैजनाथपारा रायपुर	CG04MM3895 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर एवं विना लायसेंस तथा रजिस्ट्रेशन शर्तो का उल्लंघन	7000
69	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	846/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	किरण भोई पिता राम भोई संतोषीनगर रायपुर	CG06CV1022 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
70	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	847/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	मोहनेश पिता ए.के. साकिन आरंग	CG04KJ8555 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
71	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	448/23 05-04-2023	182 ए(4), 3/181	पचपेड़ीनाका	विकाश पिता बसंत रायपुर	CG13UF0295 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	6000
72	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	849/23 05-04-2023	182 ए(4)	पचपेड़ीनाका	संदीप पिता डी.एस.यादव देवेन्द्र नगर रायपुर	CG04LP4719 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
73	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	850/23 05-04-2023	182 ए(4), 3/181	पचपेड़ीनाका	पुष्पेन्द्र पिता श्रीराम रायपुर	CG15DT7530 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	6000
74	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	851/23 05-04-2023	182 ए(4), 3/181	पचपेड़ीनाका	रुद्र पिता संतोष रायपुर	CG04KJ9190 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	6000
75	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	857/23 05-04-2023	182 ए(4)	एमएमआई चौक	मनोज पिता आर.जी. मठपुरैना रायपुर	CG04ML0260 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
76	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	858/23 05-04-2023	182 ए(4)	एमएमआई चौक	संजय पिता भागीरथी रायपुर	CG04NP3153 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
77	अप्रैल 2023	पचपेड़ीनाका	859/23 05-04-2023	182 ए(4)	एमएमआई चौक	भार्गव पिता संतोष जैन रायपुर	CG13AJ5104 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000
78	अप्रैल 2023	पंडरी	932/23 05-04-2023	182 ए(4)	पंडरी	अभिषेक पिता खिपराज सोनी साकिन शंकर चौक सदर बाजार	CG04FJ 5290 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	पेडिंग
79	अप्रैल 2023	पंडरी	933/23 05-04-2023	182 ए(4)	पंडरी	गोपी पिता प्रेमचंद भारती साकिन टिकरापारा रायपुर	CG04MJ2237 MOTOR CYCLE	मोडिफाइड सायलेंसर	5000

80	अप्रैल 2023	पंडरी	934/23 05-04-2023	182 ए(4)	पंडरी	दिनेश पिता किरण पटेल साकिन दलदलसिवनी रायपुर	CG04NM0458 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
81	अप्रैल 2023	पंडरी	937/23 05-04-2023	182 ए(4)	पंडरी	जीत पिता व्यास विश्वकर्मा दूवे कालोनी रायपुर	CG04MU5876 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
82	अप्रैल 2023	पंडरी	939/23 05-04-2023	182 ए(4)	पंडरी	जयकुमार पिता संतोष साकिन गुडियारी रायपुर	CG10HZ4429 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
83	अप्रैल 2023	पंडरी	938/23 05-04-2023	182 ए(4)	पंडरी	अमर पिता वनवीर साकिन पंडरी रायपुर	CG04NL0297 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
84	अप्रैल 2023	पंडरी	940/23 05-04-2023	182 ए(4)	पंडरी	साहित पिता मोदी रायपुर	CG04NZ4789 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
85	अप्रैल 2024	पंडरी	942/23 05-04-2024	182 ए(4)	पंडरी	पंकज पिता रामगोपाल पांडे साकिन गुडियारी	CG04NV8917 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
86	अप्रैल 2023	पंडरी	947/23 05-04-2023	182 ए(4)	पंडरी	प्रवीण पिता केदारनाथ अश्वनी नगर	CG04LD5726 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
87	अप्रैल 2023	पंडरी	948/23 05-04-2023	182 ए(4)	व्हीआईपी टर्निंग	सूरज पिता पिंटू मंडल साकिन उरकुरा	CG04HX0656 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
88	अप्रैल 2023	पंडरी	950/23 05-04-2023	182 ए(4)	व्हीआईपी टर्निंग	दिनू पिता रामकृष्ण साहू साकिन रायपुर	CG04NU1381 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	पेडिंग
89	अप्रैल 2023	पंडरी	951/23 05-04-2023	182 ए(4)	व्हीआईपी टर्निंग	मनोज पिता श्री राम मूरत पांडे साकिन सड्डू रायपुर	CG04LE8871 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
90	अप्रैल 2023	पंडरी	952/23 05-04-2023	182 ए(4)	व्हीआईपी टर्निंग	रोहन कोठारी पिता निलेश कोठारी सड्डू रायपुर	CG04LU1759 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
91	अप्रैल 2023	पंडरी	953/23 05-04-2023	182 ए(4)	व्हीआईपी टर्निंग	मिथलेश कुमार पिता आनंद प्रसाद रायपुर	CG12AD8055 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
92	अप्रैल 2023	पंडरी	954/23 05-04-2023	182 ए(4)	व्हीआईपी टर्निंग	गोविंद पिता लालचंद यादव साकिन रायपुर	CG04MG4999 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000

93	अप्रैल 2023	पंडरी	955/23 05-04-2023	182 ए(4)	व्हीआईपी टर्निंग	दुकेश्वर पिता हीरालाल मोवा रायपुर	CG04PB4377 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
94	अप्रैल 2023	पंडरी	956/23 05-04-2023	182 ए(4)	व्हीआईपी टर्निंग	जय बाघमार पिता धनंजय बाघमार साकिन बलीदावाजार	CG22S8636 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
95	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	380/23 05-04-2023	182 ए(4)	सरस्वतीनगर थाना के सामने	रोहित राव पिता नोकराज राव साकिन माना	CG17KU2255 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
96	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	381/23 05-04-2023	182 ए(4)	सरस्वतीनगर थाना के सामने	आदित्य कुमार पिता किशोर कुमार साकिन डीडीनगर रायपुर	CG07BJ5958 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
97	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	387/23 05-04-2023	182 ए(4)	सरस्वतीनगर थाना के सामने	नवीन यदु पिता चंद्रकुमार यदु साकिन कुम्हारी दुर्गा	CG07CC3373 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
98	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	388/23 05-04-2023	182 ए(4)	सरस्वतीनगर थाना के सामने	अभिषेक सोनी पिता एम.जे. सोनी साकिन हीरापुर	CG04MF3155 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
99	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	389/23 05-04-2023	182 ए(4)	सरस्वतीनगर थाना के सामने	भगवती प्रसाद पिता कृष्णकुमार धुव साकिन डंगनिया	CG04MA7485 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
100	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	390/23 05-04-2023	182 ए(4)	सरस्वतीनगर थाना के सामने	अमित कुमार पिता स्व. ब्रम्हदेव साकिन कवीरनगर रायपुर	BR01EM7589 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
101	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	382/23 05-04-2023	182 ए(4)	लाखेनगर चौक	राहुल जैन पिता भरत जैन साकिन प्रियदर्शनी नगर रायपुर	CG04MV5774 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
102	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	383/23 05-04-2023	182 ए(4)	लाखेनगर चौक	यशवंत यादव पिता आनंद राम डंगनिया रायपुर	CG04MA5778 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
103	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	384/23 05-04-2023	182 ए(4)	लाखेनगर चौक	रोहित साहू पिता सीएससाहू सुंदर नगर रायपुर	CG12KQ6141 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000

104	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	391/23 05-04-2023	182 ए(4)	लाखेनगर चौक	राजेन्द्र कौशिक पिता स्व. बेनी राम कौशिक पुरानी बस्ती रायपुर	CG04MC1500 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
105	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	392/23 05-04-2023	182 ए(4)	लाखेनगर चौक	जगमोहन यदु पिता गोवर्धन यदु पुरानी बस्ती रायपुर	CG04MF2214 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
106	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	393/23 05-04-2023	182 ए(4)	लाखेनगर चौक	सुमीत मोहंती पिता विकास मोहंती साकिन, चंगोराभांठा रायपुर	KA05JE6066 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
107	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	394/23 05-04-2023	182 ए(4)	लाखेनगर चौक	संदीप चंद्राकर पिता के.एल. चंद्राकर डंगनियों रायपुर	CG04HN4868 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
108	अप्रैल 2023	भाठागांव बस स्टैंड	395/23 05-04-2023	182 ए(4)	लाखेनगर चौक	राजेन्द्र शर्मा पिता जे.एल. शर्मा कुशालपुर रायपुर	CG04ZX4737 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
109	अप्रैल 2023	फाफाडीह	983/23 04-04-2023	182 ए(4)	देवेन्द्र नगर चौक	हेमंत कुमार कुरें पिता अभिलाश कुरें साकिन गुड़ियारी रायपुर	CG04NE8592 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
110	अप्रैल 2023	फाफाडीह	985/23 04-04-2023	182 ए(4)	देवेन्द्र नगर चौक	मानसिंह साहू पिता रमेश्वर साहू साकिन रामनगर रायपुर	CG04K8059 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
111	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1003/23 05-04-2023	182 ए(4)	फाफाडीह	दीपक शर्मा पिता होरीलाल शर्मा साकिन गुड़ियारी	CG04MM1222 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
112	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1004/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलघानी नाका चौक	लक्ष्य देवांगन पिता के.पी. देवांगन साकिन चंगोराभांठा रायपुर	CG04MF5185 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
113	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1005/23 05-04-2023	182 ए(4)	देवेन्द्र नगर चौक	यशकुमार साहू पिता चंद्रहास साहू साकिन खमतलाई रायपुर	CG04HQ3166 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000

114	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1006/23 05-04-2023	182 ए(4)	देवेन्द्र नगर चौक	अरुण कुमार सोनकर पिता बारीलाल सोनकर साकिन रायपुर	CG04LZ8890 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
115	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1007/23 05-04-2023	182 ए(4)	देवेन्द्र नगर चौक	मोहन साहू पिता उदयशंकर साहू साकिन मोवा रायपुर	CG04HL3339 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	पेडिंग
116	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1008/23 05-04-2023	182 ए(4)	देवेन्द्र नगर चौक	प्रेमकांत पिता श्यामू प्रसाद कवीरनगर रायपुर	CG04MG2059 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
117	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1013/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलघानी नाका चौक	सदन साहू पिता ईश्वर साहू रागनगर रायपुर	CG04LL2954 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
118	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1014/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलघानी नाका चौक	देवेन्द्र महानंद पिता प्रकाश महानंद साकिन गुडियारी रायपुर	CG04NS0147 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
119	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1015/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलघानी नाका चौक	गगन पिता इंद्रराज साकिन रायपुर	CG04P7693 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000
120	अप्रैल 2023	फाफाडीह	1016/23 05-04-2023	182 ए(4)	तेलघानी नाका चौक	चिराग बांधे पिता दीपक बांधे टाटीबांध रायपुर	MH49A7242 MOTOR CYCLE	मोडिफाईड सायलेंसर	5000

:: कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर (छ0ग0) ::
 क्रमांक/उमनि/वपुअ/राय/रीडर-1/एम-187/2023 दिनांक 09.06.2023
 प्रति,

जिला दण्डाधिकारी,
 रायपुर (छ.ग.)

कलेक्टर, रायपुर
 A.D.M

19 JUN 2023

कलेक्टर/अपर कले./अधीक्षक

विषय :- कोलाहल अधिनियम के संबंध में।

—:00:—

कृपया जिले के थानों में दिनांक 01.05.2023 से 31.05.2023 की स्थिति में
 जिला में कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की सूची संलग्न कर
 अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :- सूची.

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं
 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
 जिला-रायपुर

A.S.W.

जिला दण्डाधिकारी
 रायपुर (छ.ग.)

47
 --: कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी दिनांक 01.05.2023 से 31.05.2023 तक की स्थिति में :: --

क्रमांक	वर्ष	थाना	कार्यवाही दिनांक एवं घटनास्थल	कार्यवाही (इस्त.क्र. एवं धारा)	जप्त की गई सामग्री	अनावेदक/आरोपी का नाम	वाहन क्रमांक	क्या वाहन कमर्शियल ?	कोर्ट में निराकरण (fine) इत्यादि	रिमॉक (अन्य कोई जानकारी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	2023	कोतवाली	03.05.2023	इस्त0क0 03/2023 3, 5, 15 कोलाहल अधिनियम	एम्प्लीफायर 01 नग एवं चोंगा	ईश्वर बाघ पिता स्व0 दिवाबाघ उम्र 29 साल सा0 उत्कल बस्ती पुरानी बस्ती रायपुर	-	-	1000/-	-
02	2023	गोलबाजार	01.05.2023	इस्त0क0 03/2023 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 01 नग वाक्स, 01 बेस	भूपेन्द्र कुमार नेताम पिता रूपचंद्र नेताम उम्र 27 साल सा0 चंगोराभाठा रायपुर	-	-	1000/-	-
03	2023	पण्डरी	08.05.2023	इस्त0क0 02/2023 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 नग डी.जे. बॉक्स	राहुल बंजारे पिता छविराम उम्र 22 साल सा0 प्रेमनगर मोवा रायपुर	-	-	पुलिस लंबित	-
04	2023	पण्डरी	08.05.2023	इस्त0क0 03/2023 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 नग साउंड बॉक्स	अंकित जायसवाल पिता सिताराम उम्र 25 वर्ष सा0 प्रगति नगर मोवा रायपुर	-	-	पुलिस लंबित	-
05	2023	पण्डरी	17.05.2023	इस्त0क0 04/2023 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	वाहन 407 एवं डी.जे. सिस्टम	बबलू उर्फ बाबूलाल महानंद पिता मदन महानंद उम्र 27 वर्ष सा0 डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी रायपुर	407 सी. जी. 07 बी. के. 7352	हां	1000/-	आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कार्यवाही होने से वाहन को मान0 न्याया0 द्वारा नहीं छोड़ा गया।
06	2023	खमतराई	02.05.2023	इस्त0क0 03/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 साउण्ड बॉक्स	दीपक गुप्ता पिता धन्ना लाल गुप्ता, उम्र 35 वर्ष सा0 संतोषी नगर खमतराई रायपुर	-	-	1000/-	-
07	2023	गुड़ियारी	01.05.2023	इस्त0क0 03/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 साउण्ड बॉक्स, साउण्ड सिस्टम	चन्द्रकुमार पिता स्व. दिलीप उम्र 22 वर्ष सा0 कलिंग नगर गुड़ियारी रायपुर	-	-	1000/-	-

12

08	2023	गुदियारी	01.05.2023	इस्त0क0 04/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 साउण्ड बॉक्स, साउण्ड सिस्टम	सहू मानिकपुरी पिता जगमोहन उम्र 36 वर्ष सा0 कृष्णा नगर गुदियारी	-	-	1000/-	-
09	2023	गुदियारी	11.05.2023	4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 बॉक्स	गुलशन यदु पिता उमेन्द्र यदु उम्र 21 साल सा0 कैलाश नगर बीरगांव थाना उरला	-	-	1000/-	-
10	2023	धरसीवा	13.05.2023	इस्त0क0 04/23 धारा 4, 5, 15 कोलाहल	02 नग साउंड बॉक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	लक्ष्मीकांत साहू पिता संतोष कुमार उम्र 25 साल पता कपसदा बाजार चौक धरसीवा रायपुर	-	-	पुलिस लंबित	-
11	2023	खम्हारडीह	01.05.2023	इस्त0क0 01/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	12 नग साउण्ड बॉक्स, 02 नग एम्प्लीफायर	दीपक साहू पिता दिनेश साहू उम्र 21 साल सा0 बीटीआई कालोनी शंकर नगर	डी.आई. सी0जी0 06 जी.डी. 8685	-	पुलिस लंबित	-
12	2023	पुरानी बस्ती	08.05.2023	इस्त0क0 01/23 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड बॉक्स, 01 बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	गोलू यदु पिता स्व0 जीवराखन उम्र 38 वर्ष सा0 लाखेनगर पुरानी बस्ती रायपुर	-	-	5000/-	-
13	2023	टिकरापारा	09.05.2023	इस्त0क0 01/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 बॉक्स	सुनील साहू पिता चन्द्रकुमार उम्र 23 वर्ष सा0 नंदी चौक टिकरापारा रायपुर	-	-	पुलिस लंबित	-
14	2023	न्यू राजेन्द्र नगर	03.05.2023	इस्त0क0 01/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	02 साउंड वाक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	जयश ध्रुव पिता स्व0 शिव कुमार उम्र 22 वर्ष सा0 मौलीपारा तेलीबांधा	-	-	1000/-	-
15	2023	न्यू राजेन्द्र नगर	08.05. 2023	इस्त0क0 02/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड वाक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	सागर सोनी पिता गोरियसा उम्र 28 वर्ष सा0 शहीद राजीव पाण्डेय नगर न्यू राजेन्द्र नगर	-	-	पुलिस लंबित	-
16	2023	आजाद चौक	01.05.2023	इस्त0क0 02/23 3,5,15 कोलाहल	01 साउण्ड बॉक्स, 01 पोंगा	देवीलाल सारथी पिता दिलीप उम्र 38 साल सा0 लाखेनगर सारथी	-	-	पुलिस लंबित	-

16

				अधिनियम		चौक रायपुर				
17	2023	आजाद चौक	02.05.2023	इस्त0क0 03/23 3,5,15 कोलाहल अधिनियम	02 नग साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	चंदू कौशिक पिता स्व0 बेनीराम उम्र 38 साल सा0 भोई पारा आजाद चौक	-	-	2000/-	-
18	2023	आजाद चौक	02.05.2023	इस्त0क0 03/23 3,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर, 01 पोंगा	महेश यदु पिता स्व0 जीवराखन उम्र 34 साल सा0 लाखे नगर रायपुर	-	-	पुलिस लंबित	-
19	2023	कबीर नगर	01.05.2023	इस्त0क0 02/23 15 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड बॉक्स	गुमान साहू पिता गोविंद राम उम्र 23 साल सा0 तेंदुआ आमानाका रायपुर	-	-	पुलिस लंबित	-
20	2023	कबीर नगर	01.05.2023	इस्त0क0 02/23 15 कोलाहल अधिनियम	04 बॉक्स, 01 लाईनर, 02 जनरेटर, 01 मिक्सर, 01 कम्प्रेसर, 01 स्टेपलाइजर	ओमकार चक्रधारी पिता पुरुषोत्तम उम्र 21 साल सा0 चंदनडीह आमानाका	मो0सा0 सी.जी. 04 एन.डी. 3230	-	पुलिस लंबित	-
21	2023	सरस्वती नगर	08.05.2023	इस्त0क0 04/23 15 कोलाहल अधिनियम	03 नग साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर, 01 नग हेन्ड मारिक	देवेन्द्र बघेल पिता स्व0 ओमप्रकाश उम्र 40 साल सा0 मठपारा दुर्ग	-	-	1000/-	-
22	2023	नेवरा	11.05.2023	इस्त0क0 06/23 3, 5 कोलाहल अधिनियम	08 नग डी.जे. बॉक्स	मोह0 आसीफ पिता मो0 आरीफ उम्र 25 वर्ष सा0 वार्ड 11 गोवर्धन नगर तिल्दा नेवरा रायपुर	टाटा पिकअप वाहन क्रमांक सी. जी. 22 व्ही 1657	कमर्शियल	1000/-	-
23	2023	नेवरा	11.05.2023	इस्त0क0 07/23 3, 5 कोलाहल अधिनियम	08 नग डी.जे. बॉक्स	बम्लेश्वर यदु पिता स्व0 शोभी राम यदु उम्र 32 साल सा0 मण्डी चौक नेवरा	सी.जी. 04 जे.सी. 1737	कमर्शियल	1000/-	-
24	2023	विधानसभा	01.05.2023	इस्त0क0 02/23 4,5,15 कोलाहल	01 साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	गोलू साहू पिता महावीर उम्र 26 साल सा0 ग्राम बरौदा	-	-	पुलिस लंबित	-

50

				अधिनियम		विधानसभा				
25	2023	अभनपुर	01.05.2023	इस्त0क0 04/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	02 साउंड वॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	नितिश सेन पिता जयराम उम्र 23 वर्ष सा0 ग्राम थनौद अभनपुर	-	-	पुलिस लंबित	-
26	2023	मुजगहन	08.05.2023	इस्त0क0 02/23 16 कोलाहल अधिनियम	02 नग साउंड वॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	जैकी रात्रे पिता नंद कुमार उम्र 24 वर्ष सा0 ग्राम रवेली मुजगहन	-	-	1000/-	-
27	2023	मंदिर हसौद	01.05.2023	इस्त0क0 03/23 3, 4 कोलाहल अधिनियम	01 नग साउंड वॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	टिनू गायकवाड़ पिता स्व0 पप्पू सा0 मंदिर हसौद रायपुर	-	-	पुलिस लंबित	-
28	2023	आरंग	02.05.2023	इस्त0क0 04/23 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 टॉप (बक्सा), 01 एम्प्लीफायर	दौलत लोधी पिता सालिक राम उम्र 30 साल सा0 केवसी लोधीपारा आरंग	-	-	पुलिस लंबित	-

21

:: कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर (छ0ग0) ::

क्रमांक/उमनि/वपुअ/राय/रीडर-1/एम-187/2023

दिनांक 09.06.2023

प्रति,

जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

कलेक्टर, रायपुर

A.D.M S.W

19 JUN 2023

कलेक्टर/अपर कले./अधीक्षक

486
12/06/2023

विषय :- कोलाहल अधिनियम के संबंध में।

—:00:—

कृपया जिले के थानों में दिनांक 01.05.2023 से 31.05.2023 की स्थिति में जिला में कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की सूची संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :- सूची.



09-06-23

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जिला-रायपुर

A.S.W.
N
जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

--: कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी दिनांक 01.05.2023 से 31.05.2023 तक की स्थिति में :: --

23


क्रमांक	वर्ष	थाना	कार्यवाही दिनांक एवं घटनास्थल	कार्यवाही (इस्त.क. एवं धारा)	जप्त की गई सामग्री	अनावेदक/आरोपी का नाम	वाहन क्रमांक	क्या वाहन कमर्शियल ?	कोर्ट में निराकरण (fine) इत्यादि	रिमॉक (अन्य कोई जानकारी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	2023	गोलबाजार	01.05.2023	इस्त0क0 03/2023 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 01 नग बाक्स, 01 वेस	भूपेन्द्र कुमार नेताम पिता रूपचंद्र नेताम उम्र 27 साल सा0 चंगोराभाठा रायपुर	-	-	1000/-	-
02	2023	गुदियारी	01.05.2023	इस्त0क0 03/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 साउण्ड बॉक्स, साउण्ड सिस्टम	चन्द्रकुमार पिता स्व. दिलीप उम्र 22 वर्ष सा0 कलिंग नगर गुदियारी रायपुर	-	-	1000/-	-
03	2023	गुदियारी	01.05.2023	इस्त0क0 04/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 साउण्ड बॉक्स, साउण्ड सिस्टम	राजू मानिकपुरी पिता जगमोहन उम्र 36 वर्ष सा0 कृष्णा नगर गुदियारी	-	-	1000/-	-
04	2023	खम्हारडीह	01.05.2023	इस्त0क0 01/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	12 नग साउण्ड बॉक्स, 02 नग एम्प्लीफायर	दीपक साहू पिता दिनेश साहू उम्र 21 साल सा0 बीटीआई कालोनी शंकर नगर	डी.आई. सी0जी0 06 जी.डी. 8685	-	पुलिस लयित	-
05	2023	आजाद चौक	01.05.2023	इस्त0क0 02/23 3,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 साउण्ड बॉक्स, 01 पोंगा	देवीलाल सारथी पिता दिलीप उम्र 38 साल सा0 लाखेनगर सारथी चौक रायपुर	-	-	पुलिस लयित	-
06	2023	कबीर नगर	01.05.2023	इस्त0क0 02/23 15 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड बॉक्स	गुमान साहू पिता गोविंद राम उम्र 23 साल सा0 तेंदुआ आमनाका रायपुर	-	-	पुलिस लयित	-
07	2023	कबीर नगर	01.05.2023	इस्त0क0 02/23 15 कोलाहल अधिनियम	04 बॉक्स, 01 लाईनर, 02 जनरेटर, 01 मिक्सर, 01 कम्प्रेसर, 01 स्टेपलाइजर	ओमकार चक्रधारी पिता पुरुषोत्तम उम्र 21 साल सा0 चंदनडीह आमनाका	मो0सा0 सी. जी. 04 एन. डी. 3230	-	पुलिस लयित	-
08	2023	विधानसभा	01.05.2023	इस्त0क0 02/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	गोलू साहू पिता महावीर उम्र 26 साल सा0 ग्राम बरोदा विधानसभा	-	-	पुलिस लयित	-
09	2023	अननपुर	01.05.2023	इस्त0क0 04/23 4,5,15 कोलाहल	02 साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	नितिश सेन पिता जयराम उम्र 23 वर्ष सा0 ग्राम	-	-	पुलिस लयित	-

				अधिनियम						
10	2023	मंदिर हसौद	01.05.2023	इस्त0क0 03/23 3, 4 कोलाहल अधिनियम	01 नग साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	टिनु गायकवाड़ पिता स्व0 पप्पू सा0 मंदिर हसौद रायपुर	-	-	पुलिस लवित	-
11	2023	खमतराई	02.05.2023	इस्त0क0 03/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 साउण्ड बॉक्स	दीपक गुप्ता पिता धन्ना लाल गुप्ता, उम्र 35 वर्ष सा0 संतोषी नगर खमतराई रायपुर	-	-	1000/-	-
12	2023	आजाद चौक	02.05.2023	इस्त0क0 03/23 3,5,15 कोलाहल अधिनियम	02 नग साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	चंदू कौशिक पिता स्व0 बेनीराम उम्र 38 साल सा0 भोई पारा आजाद चौक	-	-	2000/-	-
13	2023	आजाद चौक	02.05.2023	इस्त0क0 03/23 3,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर, 01 पोंगा	महेश यदु पिता स्व0 जीवराखन उम्र 34 साल सा0 लाखे नगर रायपुर	-	-	पुलिस लवित	-
14	2023	आरंग	02.05.2023	इस्त0क0 04/23 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 टॉप (बक्सा), 01 एम्प्लीफायर	दौलत लोधी पिता सालिक राम उम्र 30 साल सा0 केवसी लोधीपारा आरंग	-	-	पुलिस लवित	-
15	2023	कोतवाली	03.05.2023	इस्त0क0 03/2023 3, 5, 15 कोलाहल अधिनियम	एम्प्लीफायर 01 नग एवं चोंगा	ईश्वर बाघ पिता स्व0 दिवाबाघ उम्र 29 साल सा0 उत्कल बस्ती पुरानी बस्ती रायपुर	-	-	1000/-	-
16	2023	न्यू राजेन्द्र नगर	03.05.2023	इस्त0क0 01/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	02 साउंड बाक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	जयश ध्रुव पिता स्व0 शिव कुमार उम्र 22 वर्ष सा0 मौलीपारा तेलीदांघा	-	-	1000/-	-
17	2023	पण्डरी	08.05.2023	इस्त0क0 02/2023 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 नग डी.जे. बॉक्स	राहुल बंजारे पिता छविराम उम्र 22 साल सा0 प्रेमनगर मोवा रायपुर	-	-	पुलिस लवित	-
18	2023	पण्डरी	08.05.2023	इस्त0क0 03/2023 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 नग साउंड बॉक्स	अकित जायसवाल पिता सिताराम उम्र 25 वर्ष सा0 प्रगति नगर मोवा रायपुर	-	-	पुलिस लवित	-
19	2023	पुरानी बस्ती	08.05.2023	इस्त0क0 01/23 3, 5 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड बॉक्स, 01 बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	गोलू यदु पिता स्व0 जीवराखन उम्र 38 वर्ष सा0 लाखेनगर पुरानी बस्ती रायपुर	-	-	5000/-	-
20	2023	न्यू राजेन्द्र नगर	08.05.2023	इस्त0क0 02/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 साउंड बाक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	सागर सोनी पिता गोरियसा उम्र 28 वर्ष सा0 शहीद राजीव पाण्डेय नगर न्यू राजेन्द्र नगर	-	-	पुलिस लवित	-
21	2023	सरस्वती नगर	08.05.2023	इस्त0क0 04/23	03 नग साउंड	देवेन्द्र बघेल पिता स्व0	-	-	1000/-	-

				15 कोलाहल अधिनियम	बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर, 01 नग हेन्ड माईक	ओमप्रकाश उम्र 40 साल सा0 मठपारा दुर्ग				
22	2023	मुजगहन	08.05.2023	इस्त0क0 02/23 16 कोलाहल अधिनियम	02 नग साउंड बॉक्स, 01 एम्प्लीफायर	जेकी रात्रे पिता नंद कुमार उम्र 24 वर्ष सा0 ग्राम रवेली मुजगहन	-	-	1000/-	-
23	2023	टिकरापारा	09.05.2023	इस्त0क0 01/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 बॉक्स	सुनील साहू पिता चन्द्रकुमार उम्र 23 वर्ष सा0 नंदी चौक टिकरापारा रायपुर	-	-	पुलिस ललित	-
24	2023	गुदियारी	11.05.2023	4,5,15 कोलाहल अधिनियम	01 नग एम्प्लीफायर, 02 बॉक्स	गुलशन यदु पिता उमेन्द्र यदु उम्र 21 साल सा0 कैलाश नगर बीरगांव थाना उरला	-	-	1000/-	-
25	2023	नेवरा	11.05.2023	इस्त0क0 06/23 3, 5 कोलाहल अधिनियम	08 नग डी.जे. बॉक्स	मोह0 आसीफ पिता मो0 आरीफ उम्र 25 वर्ष सा0 वार्ड 11 गोवर्धन नगर तिल्दा नेवरा रायपुर	टाटा पिकअप वाहन क्रमांक सी.जी. 22 व्ही 1657	कमर्शियल	1000/-	-
26	2023	नेवरा	11.05.2023	इस्त0क0 07/23 3, 5 कोलाहल अधिनियम	08 नग डी.जे. बॉक्स	बल्लेश्वर यदु पिता स्व0 शोभी राम यदु उम्र 32 साल सा0 मण्डी चौक नेवरा	सी.जी. 04 जे.सी. 1737	कमर्शियल	1000/-	-
27	2023	धरसीवा	13.05.2023	इस्त0क0 04/23 धारा 4, 5, 15 कोलाहल	02 नग साउंड बॉक्स, 01 नग एम्प्लीफायर	लक्ष्मीकांत साहू पिता संतोष कुमार उम्र 25 साल पता कपसदा बाजार चौक धरसीवा रायपुर	-	-	पुलिस ललित	-
28	2023	पण्डरी	17.05.2023	इस्त0क0 04/2023 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	वाहन 407 एवं डी.जे. सिस्टम	बबलू उर्फ बाबूलाल महानंद पिता मदन महानंद उम्र 27 वर्ष सा0 डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी रायपुर	407 सी.जी. 07 वी.के. 7352	हां	1000/-	आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कार्यवाही होने से वाहन को मान0 न्याया0 द्वारा नहीं छोड़ा गया।

:: कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर (छ0ग0) ::
 क्रमांक/उमनि/वपुअ/राय/रीडर-1/एम-२२७/2023 दिनांक 10.07.2023
 प्रति,

जिला दण्डाधिकारी,
 रायपुर (छ.ग.)



609
 12-7-2023 विषय :- कोलाहल अधिनियम के संबंध में।

—:00:—

कृपया जिले के थानों में दिनांक 01.06.2023 से 30.06.2023 की स्थिति में
 जिला में कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की सूची संलग्न कर
 अवलोकनार्थ प्रेषित है।
 संलग्न :- सूची.

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं
 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
 जिला-रायपुर

यथा
 A.S.W.

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
 रायपुर (छ.ग.)

56
 -:: कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी दिनांक 01.06.2023 से 30.06.2023 तक की स्थिति में :: -

127

क्रमांक	वर्ष	थाना	कार्यवाही दिनांक	कार्यवाही (धारा) इत्यादि	जप्त की गई सामग्री	अनावेदक/आरोपी का नाम	वाहन क्रमांक	क्या वाहन कमर्शियल ?	कोर्ट में निराकरण (fine) इत्यादि	रिमार्क (अन्य कोई जानकारी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2023	सरस्वती नगर	01.06.2023	इस्त0क0 05/23 4,5,15 कोलाहल अधिनियम	02 नग स्पीकर, 01 नग मिक्सर मशीन	यशवत साहू पिता परमानंद साहू उम्र 24 साल सा0 मोहवा बाजार रायपुर	-	-	-	-

// आदेश //

क्रमांक / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2023

रायपुर, दिनांक 23/03/2023

स्कूल एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं तथा लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम रायपुर की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

2/ विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमति के पश्चात् ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच की अवधि के लिए नहीं दी जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

M
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 23/02/2023

226
पृ. क्रमांक / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2023
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आदेश का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. सर्व अपर कलेक्टर, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर/ग्रामीण, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. सर्व तहसीलदार जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं सभी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
9. सर्व थाना प्रभारी, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



D:\Shri Sahu A-5\W\General letter.doc2

M
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

:- कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, रायपुर :- **Annexure R-11**

कमांक उमनि/वपुअ/ 2016 / 19
प्रतिलिपि

दिनांक 3/12/2019

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
रायपुर

विषय :- ध्वनि प्रदूषण वाहनों में साउण्ड बाक्स (डीजे) लगाकर बजाने आदि के संबंध में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका कमांक 112/2016 निर्णय दिनांक 06.12.2016 नितिन सिंघवी विरुद्ध स्टेट ऑफ छ0ग0 एवं अन्य में दिये गये निर्णय का पालन न होने से हो रही अवमानना बाबत।

संदर्भ :- 1. आपका पत्र कमांक उमनि/वपुअ/राय/रीडर-1/आरएस-1605-ए/
एम-679/19 दिनांक 17.12.2019

2. वृष्ठाफर कुमाड - SSP/4160/18 दिनांक 12/9/18, SSP/4040/18 dt 3/9/18

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। ध्वनि प्रदूषण वाहनों में साउण्ड बाक्स (डीजे) लगाकर बजाने आदि के संबंध में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका कमांक 112/2016 निर्णय दिनांक 06.12.2016 नितिन सिंघवी विरुद्ध स्टेट ऑफ छ0ग0 एवं अन्य में दिये गये निर्णय का पालन न होने से हो रही अवमानना बाबत के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन, कोतवाली, पुरानीबस्ती, आजाद चौक, उरला, माना एवं अटल नगर रायपुर से उनके अनुविभाग के थाना स्तर पर कोलाहल अधिनियम तहत की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त किया गया जो निम्नानुसार है-

अनुविभाग	थाना	कार्यवाही/प्रकरण की संख्या		
		वर्ष 2019	वर्ष 2018	वर्ष 2017
नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन	सिविल लाईन	03	01	11
	तेलीबांधा	04	01	07
	पण्डरी	02	-	05
	देवेन्द्रनगर	01	-	01
	खम्हारडीह	01	-	-
नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली	कोतवाली	-	07	25
	गोलबाजार	-	04	01
	मौदहापारा	-	01	-
	गंज	01	04	05
नगर पुलिस अधीक्षक, पुरानीबस्ती	टिकरापारा	02	-	05
	डीडीनगर	02	05	01
	राजेन्द्रनगर	-	01	-
	पुरानीबस्ती	-	03	04

01C

नगर अधीक्षक, चौक	पुलिस आजाद	आजाद चौक	12	08	11
		कबीरनगर	01	-	-
		आमानाका	-	-	-
		सरस्वतीनगर	-	02	02
नगर अधीक्षक, उरला	पुलिस उरला	उरला	01	02	01
		खमतराई	-	-	03
		गुढ़ियारी	-	02	04
		धरसीवा	-	-	-
नगर अधीक्षक, माना	पुलिस माना	माना	-	02	04
		मंदिर हसौद	-	-	-
		विधानसभा	-	-	-
		आरंग	-	-	-
नगर अधीक्षक अटलनगर रायपुर	पुलिस नया	राखी	01	-	-
		अभनपुर	-	-	-
		गोबरानयापारा	01	-	-
		मुजगहन	-	-	01
उपुअ मुख्यालय		खरोरा	-	-	-
		नेवरा	02	02	-
योग-			34	45	91

संलग्न:- थाना प्रभारियों से प्राप्त कार्यवाही विवरण।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
शहर, रायपुर

// कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात रायपुर (छ0ग0) //

क्रमांक : अपुअ./राय./याता./
प्रति,

136

/2023

दिनांक 02.08.2023

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी,
रायपुर छ.ग.

विषय:- प्रेशर हार्न एवं सायलेंसर मोडिफाइड किये गए वाहनों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की कार्यवाही की जानकारी के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक उमनि/वपुअ/राय/रीडर-1/एम-25/2023 दिनांक 03.02.2023।

--:000:--

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी चाही गयी है। उक्त संबंध में लेख है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाहनों में लगे प्रेशर हार्न, सायलेंसर परिवर्तन कर अत्यधिक आवाज में वाहन का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गयी कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :-

(अ) प्रेशर हार्न पर मोटरव्हीकल एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही (केन्द्रीय मोटरयान 1989 के नियम 119(2) के अंतर्गत प्रेशर हार्न लगे होने पर कार्यवाही वर्ष 2023)

क्रमांक	माह	प्रकरण	समन शुल्क (रूपये)
01	जनवरी 2023	02	4000
02	फरवरी 2023	03	6000
03	मार्च 2023	02	4000
04	अप्रैल 2023	02	4000
05	मई 2023	06	12000
06	जून 2023	01	2000
07	जुलाई 2023	04	8000
	योग	20	40000=00

(ब) मोडिफाइड सायलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही (केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 182ए(4) के अंतर्गत) :-

क्रमांक	माह	प्रकरण	समन शुल्क (रूपये)
01	जनवरी 2023	0	0
02	फरवरी 2023	01	6000
03	मार्च 2023	03	15000
04	अप्रैल 2023	111	555000
05	मई 2023	03	15000
06	जून 2023	02	12500
07	जुलाई 2023	01	5000
	योग	121	608500=00

अतः ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की गयी कार्यवाही की जानकारी अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
यातायात रायपुर (छ.ग.)

हरिभूमि 13.04.23

मोडिफाई साइलेंसर, हार्न, दोपहिया वाहन को मालवाहक बनाने बेचने वाले डीलर्स, मैकेनिक के खिलाफ होगी कार्रवाई

हरिद्वीप न्यूज >> रायपुर

रायपुर की सड़कों पर मोटर वाहन एक्ट के विरुद्ध अपने वाहनों में प्रेशर हार्न के साथ मोडिफाई साइलेंसर तथा अन्य पादम बेचने वाले ऑटो डीलर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करते हुए एक चढ़ावा चला जाएगा। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निदेश पर बुधवार को ट्रैफिक डीएसपी सुनील सिंह ने ऑटो डीलर के साथ वाहन बनाने वाले मैकेनिक को बैठक आयोजित कर उन्हें नियम के मुताबिक वाहनों के पादम बेचने को हिदायत दी है। बैठक में हट्टी में ज्यादा ऑटो डीलर के साथ चर्चा मैकेनिक शामिल हुए।

संशोधन है, रायपुर की सड़कों पर नियम के विरुद्ध प्रेशर हार्न सहित मोडिफाई साइलेंसर का चढ़ावा चढ़ाया गया था रही है। प्रेशर हार्न तथा मोडिफाई साइलेंसर से तेज आवाज निकलती है। इससे ट्रैफिक का मुद्दा बना रहता है। इसी



वजह से एसएसपी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के अलावा वाहनों में मोडिफाई पादर्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई है। ट्रैफिक पुलिस ने बैठक में शामिल सभी ऑटो डीलर को साफ शब्दों में कह दिया है, उनके पास जितने मोडिफाई पादर्स हैं, संबंधित कंपनी को या ट्रैफिक थाने में तीन दिन के भीतर वापस या जमा कर दें। इसके बाद जिस डीलर की दुकान से मोडिफाई पादर्स मिलेगा, उस डीलर से एक लाख रुपए जुर्माना वसूले जाने की

जानकारी ट्रैफिक पुलिस के अफसर ने दी है।

एमटीओ से अनापत्ति के बाद हट्टी, सायरन

ट्रैफिक पुलिस के अफसर ने सभी ऑटो मैकेनिक को कहा है कि अगर कोई वाहन मालिक अपने वाहन में हट्टी या सायरन लगवाने आता है, तो उन वाहन मालिकों के वाहन में एमटीओ का अनापत्ति प्रमाण देखने के बाद ही हट्टी, साइलेंसर लगाए। ऐसा नहीं करने पर मैकेनिक के खिलाफ ट्रैफिक अफसर ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

दोपहिया को मालवाहक बनाने पर कार्रवाई

रायपुर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर दोपहिया वाहन को मालवाहक बटव करके चलाने वाले लोगों की सजा बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस के अफसर ने दोपहिया को मालवाहक बटव करने वाले ऑटो मैकेनिक को सजा बढ़ी करने के विदेश दिए हैं। सजा बढ़ी कर उठाए करने पर ऑटो मैकेनिक से जो एक लाख रुपए जुर्माना वसूल करने की चेतावनी दी है। सजा बढ़ी कर दोपहिया वाहन को मालवाहक बटव करने वाले या ऐसे सक्षम व्यक्ति जो वाहन को पुर्णतः बर्बाद करके अनापत्ति उसकी अवस्था रूप से जल्दबाजी के लिए कहा है। इसके लिए सजा बढ़ी मैकेनिक को ट्रैफिक पुलिस का वारंटसप बर 94791 91234 दिया है।

नई दुनिया

13-04-23

है। आरटोआ का रिए पर नजि पड़न लगीं है।

का, तभा वहा पर सासायटा का उपाध्यक्ष कार्यालय पर

13-04-23

माडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हार्न जमा करने के निर्देश

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। यातायात पुलिस अमानक साइलेंसर उपयोग करते पाए जर्न वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। चालकों ने बताया कि शुरूम और आटो पार्ट विक्रेताओं द्वारा पार्ट की विशेषता बढ़ा-चढ़ाकर बताई जाती है, जिससे ग्राहक आकर्षित होकर मूल पार्ट को छोड़कर माडिफाई पार्ट लगाते हैं। उनके द्वारा उस पार्ट की वैधानिकता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है। इन बातों का संज्ञान लते हुए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने यातायात के अधिकारियों को अमानक पार्ट के व्यवसाय पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बुधवार को गुरजीत सिंह प पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर आटो डीलर, वाहन पार्ट विक्रेता और वाहन रिपेयर शाप संचालकों की बैठक की। बैठक में दुकानदारों को अमानक पार्ट, माडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हार्न, फ्रिं फिल्म, ट्यूब, मायमन, गलत नंबर टा आदि को तीन दिन के भीतर संबंधित पत्रों को वापस करने या यातायात थाने



आटो डीलर, वाहन पार्ट विक्रेता और वाहन रिपेयर शाप संचालकों से चर्चा करते अधिकारी। पुलिस

बैठक में मौजूद आटो डीलर, वाहन पार्ट विक्रेता और वाहन रिपेयर शाप संचालक। पुलिस



में जमा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद भी अगर दुकान में अमानक पार्ट मिलते हैं तो जब्ती की कार्रवाई होगी। चालान बनाकर प्रकरण में भेजा जाएगा, जहां पर एक लाख रुपये अर्थदंड का प्रविधान है। दुकानदारों को माडिफाई साइलेंसर नहीं बेचने, प्रेशर हार्न नहीं बेचने, ब्लैक फिल्म नहीं लगाने, अमानक हेल्मेट नहीं बेचने, 55 वाट से अधिक के हेंडलाइट बल्ब और एलइडी फ्लोरो लाइट

नहीं बेचने को कहा गया।

वाट्सएप नंबर जारी: यातायात पुलिस रायपुर आटो डीलर, वाहन पार्ट विक्रेता और मोटर रिपेयर शाप संचालकों से कहा है कि वे मोटरयान अधिनियम के प्रविधान और यातायात नियमों का पालन करें। यदि संदेह हो कि वाहन चालक या मालक फर्जी तरीके से जैसे गलत नंबर लिखवाना या चोरी के वाहन का चाबी निर्माण करवा रहा है तो उसकी सूचना

यातायात पुलिस रायपुर के वाट्सएप नंबर 94791-91234 पर सूचित करें। बैठक में रायपुर शहर से 156 आटो डीलर, वाहन पार्ट विक्रेता और वाहन रिपेयर शाप संचालक उपस्थित हुए। इस दौरान यातायात थाना प्रभारी तेलीबांधा, पंडरी, भनपुरी, फाफाडीह, टाटीबांध, शारदा चौक, भाटागांव बस स्टैंड, पचपेड़ी त्ताका, कयाबांधा और यातायात मुख्यालय प्रभारी उपस्थित रहे।

- आटो डीलर्स, वाहन पार्ट विक्रेता और वाहन रिपेयर शाप संचालकों की बैठक लेकर दिए गए निर्देश
- अमानक पार्ट विक्री करने पर मोटर यान अधिनियम के तहत एक लाख रुपये जुर्माने का प्रविधान
- मोटरसाइकिल को माडिफाई कर मालवाहक बनाने वाले मैकेनिक के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई

पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न 3 दिन के भीतर कंपनी वापस भेजने होंगे

रायपुर। हाई स्पीड बाइक के प्रेशर हॉर्न और पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों को तीन दिन के भीतर ऐसे पार्ट्स जिस कंपनी से खरीदे हैं उन्हें वापस भेजने होंगे। कंपनी ने वापस नहीं लिया तो ऐसे उपकरण पुलिस थाने में जमा करना होगा। तीन दिन के बाद पुलिस दुकानों की जांच करेगी। दुकानों में ऐसे पार्ट्स मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को पुलिस अफसरों ने ऑटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता और वाहन रिपेयर शॉप संचालकों की बैठक लेकर इस बारे में कड़ी हिदायत दी है। उनसे कहा गया है कि अब किसी भी स्थिति में पटाखे और इसी तरह की अजीबोगरीब आवाज वाले साइलेंसर बाइकर्स या मैकेनिक को न बेचें। अब ऐसे बाइकर्स के पकड़े जाने पर उनसे पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने किस दुकान से ऐसे पार्ट्स खरीदे हैं। मैकेनिक का भी पता पूछा जाएगा। ऐसी आवाज वाले साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कुछ दिन पहले अमानक साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की थी। वाहन चालकों ने बताया कि इस तरह अमानक साइलेंसर शोरूम, ऑटो पार्ट्स दुकानों में आसानी से मिल रहे हैं। उसके बाद शहर भर के 156 से अधिक शोरूम और ऑटो पार्ट्स बेचने वाले व्यापारियों को बलाकर बैठक ली।

साथ सिटी

02

पत्रिका

रायपुर, गुरुवार, 13 अ

ऑटो डीलर्स की बैठक में पुलिस की हिदायत पटाखे जैसी तेज आवाज वाले साइलेंसर बेचे तो कारोबारियों पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना



रायपुर @ पत्रिका. शहर में पटाखे जैसी आवाज निकालकर वाहन चालकों को आतंकित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के वाद अब पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर, साइयरन बेचने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को इससे जुड़े ऑटो डीलर्स, कारोबारियों, रिपेयर शॉप संचालकों की बैठक ली गई। इसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर आदि किसी वाहन में न लगाएं। इसे तीन दिन के भीतर संयुक्त कंपनी को वापस कर दें या ट्रैफिक थाने में जमा करवा दें। अन्यथा अमानक ऑटो पार्ट्स लगाने पर नियमानुसार 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। दुकान से सभी सामान जब्त कर लिया जाएगा। अमानक पार्ट्स में मॉडिफाइड साइलेंसर के अलावा प्रेशर हॉर्न, डार्क फिल्म, हूटर, गलत

यह निर्देश भी दिए


कारोबारियों को ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने 55 वॉट से अधिक के हेडलाइट बल्ब, एलईडी फ्लैश लाइट भी नहीं बेचने कहा है। इसके अलावा ब्लैक, अमानक हेलमेट, हथियार जैसा. लेग गार्ड, दोपहिया को मालवाहक वाहनों के रूप में मॉडिफाइड नहीं करने कहा है।

आरसी देखने के बाद बदलें नंबर

पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों और मैकेनिकों को नंबर प्लेट, डुप्लीकेट चाबी बनाते समय वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखने को कहा है। लाल, नीली बत्ती या सायरन हूटर लगाने के पहले एमटीओ का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने का निर्देश दिया है। बैठक में 156 ऑटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता, वाहन रिपेयर शॉप

सर्विस रोड, मुख्य राड, गयपुर

मॉडिफाईड साइलेंसर लगाने वाले 186 बुलेट चालकों पर कार्रवाई



डीएसपी श्री ध्रुव ने बताया कि यह विशेष जांच अभियान सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलाया गया। जिसमें यातायात पुलिस के 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों ने शहर के 40 प्रमुख जगहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर जांच की।

कुछ की शिकायतें, मॉडिफाईड साइलेंसर नहीं लगाया

वहीं कुछ बुलेट वाहन चालकों की शिकायतें थी कि उन्होंने मॉडिफाई साइलेंसर नहीं लगाया है। कंपनी द्वारा प्रदत्त वैध साइलेंसर ही लगे हैं, उसमें किसी प्रकार छेड़खानी नहीं की गई। इस पर कंपनी के मैकेनिक बुलाने की चर्चा होती रही।

186 मॉडिफाई साइलेंसर लगे वाहनों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की गई। उन पर मोटरयान अधिनियम की धारा 182 अ (4) के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही मौके पर मॉडिफाई साइलेंसर को निकलवा कर जब्त किया गया एवं मानक साइलेंसर लगवा कर वाहन को छोड़ा गया।

डीएसपी श्री ध्रुव ने बताया कि शहर के भीतर पटाखे की आवाज करने वाले मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वाले शिकायतों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देश पर यातायात पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों एवं चौक-चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया।

मोटरयान अधिनियम के
तहत पांच-पांच हजार
रुपए का काटा चालान

नवभागन व्यंगे । गयपुर।

मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वाले बुलेट
वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने
विशेष जांच अभियान चलाया।
डीएसपी श्री ध्रुव ने बताया कि

पत्रिका

11.06/04/2023

PoliceAction मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तोड़ रहे थे शहर का साइलेंस पटाखे वाला साइलेंसर : 186 बुलेट जब्त, हर गाड़ी पर 5-5 हजार जुर्माना



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. रायपुर ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। बाइक का साइलेंसर मॉडिफाइ करके तेज आवाज निकाल वालों और रिंग रोड के किनारे अवैध रूप से ट्रक पार्किंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रखी। मॉडिफाइ साइलेंसर लगाकर चलने वाले 186 बुलेट चालकों पर धारा 182 ए-4 के तहत कार्रवाई की गई।



पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 5-5 हजार रूपए का चालान काटा गया। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धा-श्रद्धा जगह कुल 40 चेकिंग पॉइंट लगा रखे थे। इस दौरान बुलेट चालकों की जांच की गई। उनके मॉडिफाइ साइलेंसर जब्त भी कर लिए गए।



ऊपर दिए वीडियो का कोड स्कैन कर देखें वीडियो

दुकी की अवैध पार्किंग पर कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड के किनारे अवैध रूप से ट्रक खड़ी करने वालों के खिलाफ दूसरे दिन भी अभियान चलाया। टाटीबंध-सिलतरा बायपास, टाटीबंध चौक, मंदिरहसोद रिंग रोड, नवा रायपुर के कयावाधा, रोजयहार मार्ग में ट्रैफिक

पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे या सर्विस लेन में अवैध रूप से ट्रक खड़ी करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिन से पुलिस यह अभियान चला रही है।

जान का खतरा

साइलेंसर मॉडिफाइ करके तेज आवाज निकालते हुए बाइक चलाने और रात में सड़क किनारे बिना इंडिकेटर के ट्रक खड़ी करने से सड़क हादसे का खतरा रहता है पिछले दिनों सड़क किनारे खड़ी डंपर और ट्रक से टकराकर कार और बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह बाइक से पटाखे जैसी या अन्य तेज आवाज निकालने से कई बार दुर्घटना हो चुकी है।

पुलिस की अपील

डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह ने अपील की है कि जिले में चलने वाले भा मालवाहक वाहन के ड्राइवर्स से अपील है कि शहर की यातायात व्यवस्था सुगम संचालन में पुलिस का सहयोग करें। निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ी करें। नो पार्किंग पर सर्विस रोड में वाहन खड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बाइक या बुलेट में मॉडिफाइ साइलेंसर का उपयोग न करें। इसकी आवाज भी आवाहन चालकों के लिए भी खतरा है।

बुलेट से छूट रही गोलियां, बिगड़ रही ट्रैफिक की चाल, दबोचे गए 186 चालक

हरिद्वार न्यूज ५५ रायपुर

बुलेट में मोडिफाई साइलेंसर से गोलियों की आवाज निकालकर चाँकाने वाले चालकों को पुलिस ने दबोचना शुरू किया है। बुधवार को एक ही दिन में 186 बुलेट वाहन जप्त कर भारी जुर्माना वसूला गया,

■ मोडिफाई साइलेंसर लगाने वाले वाहन मालिकों पर पांच-पांच हजार रूपए जुर्माना

साथ ही गाड़ी का साइलेंसर भी बदलवाया गया। जिन्होंने साइलेंसर बदला, उनको जुर्माना कर वाहन लौटाया गया, बाकी

गाड़ियां जप्त रखी गई हैं। इसी तरह से शहर के आउटर तथा अलग-अलग गश्तियां तथा राजकीय गजरागों पर सड़क किनारे भारी वाहन पार्क करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

गौरतलब है, शहर में पिछले कुछ दिनों से बुलेट में मोडिफाई साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों के संबंध में परसपरसी प्रशांत अप्रयाल को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके साथ ही लोगों ने



ध्यान भटकने से तदसे का खतरा

किसी भी प्रकार के वाहनों के साइलेंसर से ऊंची आवाज निकाले जाने के साथ पटाखे जैसी आवाज निकलने पर सामने वाहन चला रहे वाहन चालक का ध्यान भटकता है, जिससे एक्सिडेंट होने का खतरा रहता है। साथ ही मन में आक्रोश पैदा होता है। इससे भी ध्यान भटकता है। इसी वजह से पुलिस ने बुलेट में मोडिफाई साइलेंसर पर कार्रवाई की है।

गालीवाहनों पर भी कार्रवाई

रिंग रोड तथा हाईवे पर सड़क किनारे घेतरीय खड़े वाहनों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने गंगलवार से अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन पुलिस ने जहां तीन दर्जन गाली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की थी, वही दूसरे दिन ट्रैफिक पुलिस ने टाटीयथ, शिलतारा थानापास रोड, गदिरहसोय तथा रोजयथार गांव पर सड़क किनारे घेतरीय खड़े गाली



जारी रहेगी कार्रवाई

मोडिफाई साइलेंसर लगाकर बुलेट चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एएसएपी के निर्देश पर अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए जबकी भी कार्रवाई की गई है। मोडिफाई साइलेंसर लगाने वाले बुलेट मालिकों से पांच पांच हजार रूपए जुर्माना राशि वसूली की गई है। साथ ही मोडिफाई साइलेंसर निकलवाकर वाहन साइलेंसर लगाया गया है। कार्रवाई जारी रहेगी।

- सुरजीत सिंह, ट्रैफिक डीएसपी



पुस्तक R-1 12
Page 1 of 71

क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल

व्यवसायिक परिसर, छ.ग. हॉउसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल:- rocecbraipur2014@gmail.com

क्रमांक 1636/शेका/तक./छ.प.सं.मं/2023

रायपुर दिनांक 21/07/2023

प्रति,

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला - रायपुर (छ.ग.)

विषय :- माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण Execution Application No. 04/2023 (CZ) in Original Application No. 78/2016(CZ) इन ओरिजनल में पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 811/अ.जि.व./एस.डब्ल्यू./2023 रायपुर दिनांक 19.07.2023.

---:00:---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण Original Application No. 78/2016(CZ) में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 में प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण Execution Application No. 04/2023 (CZ) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 में इस कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं के संदर्भ में की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है:-


1. इस कार्यालय स्तर पर दीपावली के 07 दिन पूर्व, दीपावली के दिन तथा दीपावली के 07 दिन पश्चात् 15 दिवस तक चिन्हांकित स्थानों पर मोबाईल यूनिट द्वारा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है तथा मॉनिटरिंग रिपोर्ट मंडल मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है। विगत 03 वर्षों में कार्यालय द्वारा किये गये मॉनिटरिंग के रिपोर्ट की प्रति संलग्न है (संलग्नक-01)।
2. कार्यालय द्वारा चिन्हांकित स्थानों यथा सिटी कोतवाली थाना, रायपुर तथा फाफाडीह चौक, पुलिस थाना, रायपुर पर प्रतिमाह वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के मॉनिटरिंग का कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तथा रिपोर्ट मंडल मुख्यालय को प्रेषित की जाती है। उक्त स्थानों पर विगत 06 माह में किये गये मॉनिटरिंग के रिपोर्ट की प्रति संलग्न है (संलग्नक-02)।
3. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WPPIL No. 112/2016 नितिन सिंधवी विरुद्ध छ.ग. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 के परिपालन में ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं तदानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु मंडल

मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा कुल 24 नग साउण्ड लेवल मीटर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर प्रदाय कर संबंधित कर्मचारियों को वेंडर के माध्यम से साउण्ड लेवल मीटर के उपयोग बाबत आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

4. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WPPIL No. 112/2016 निति सिंधवी विरुद्ध छ.ग. एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कार्यवाही किये जाने तथा ध्वनि प्रदूषण हेतु उपयोग किये जाने वाले यंत्रों को जप्त करने हेतु जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है, आदेश की प्रति संलग्न है (संलग्नक-03)। तदानुसार इस कार्यालय स्तर पर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्राप्त होने वाले शिकायतों को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

उक्तानुसार माननीय एन.जी.टी. में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1636/क्षेका/तक/छ.प.सं.म./2023

रायपुर दिनांक 21/07/2023

प्रतिलिपी :- सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।


क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

Format of Report : Deepawali Monitoring 2020

- Latitude & Longitude
- Climate/Meteorology
- Population
- Major Land use

Monitoring Location :

- Map showing all monitoring location of the city
- Description of monitoring site : Area/Zone : Residential, Commercial & Silence
- Activities around the monitoring location/Sources of Noise Pollution.

Data/Observations :

Noise Level during Deepawali festival 2020 : Near AIIMS, GE Road, Raipur

Location : Near AIIMS Hospital, Tatibandh, Raipur	Pre-Deepawali Day (09.11.2020)			Deepawali Day (14.11.2020)		
	Time Duration	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax
18:00 Hrs. to 19:00 Hrs.	52.4	69.0	66.0	64.9	71.8	69.2
19:00 Hrs. to 20:00 Hrs.	57.9	67.1	67.1	56.7	89.2	70.9
20:00 Hrs. to 21:00 Hrs.	64.9	71.8	69.2	53.8	72.4	58.4
21:00 Hrs. to 22:00 Hrs.	56.5	79.3	66.4	52.9	81.7	72.3
22:00 Hrs. to 23:00 Hrs.	42.0	68.1	54.2	50.2	57.8	57.8
23:00 Hrs. to 24:00 Hrs.	52.0	62.2	52.0	45.1	58.8	46.8

Noise Level during Deepawali festival 2020 : City Kotwali, Raipur

Location : City Kotwali, Raipur	Pre-Deepawali Day (09.11.2020)			Deepawali Day (14.11.2020)		
	Time Duration	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax
18:00 Hrs. to 19:00 Hrs.	56.0	69.3	69.3	69.5	83.3	69.9
19:00 Hrs. to 20:00 Hrs.	56.7	89.2	70.9	53.1	77.6	76.8
20:00 Hrs. to 21:00 Hrs.	56.3	91.3	70.3	65.3	93.2	89.3
21:00 Hrs. to 22:00 Hrs.	59.4	78.4	76.7	55.7	80.8	79.7
22:00 Hrs. to 23:00 Hrs.	64.9	71.8	69.2	61.3	71.8	71.6
23:00 Hrs. to 24:00 Hrs.	58.7	67.9	68.8	46.0	62.9	52.4

Handwritten signature/initials

Noise Level during Deepawali festival 2020 : Shankar Nagar, Raipur

Location : Shankar Nagar, Raipur Time Duration	Pre-Deepawali Day (09.11.2020)			Deepawali Day (14.11.2020)		
	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax	Leq dB(A)
18:00 Hrs. to 19:00 Hrs.	61.6	79.3	65.1	66.3	91.8	66.5
19:00 Hrs. to 20:00 Hrs.	56.6	74.2	56.6	55.3	70.9	70.9
20:00 Hrs. to 21:00 Hrs.	44.1	74.8	72.0	64.9	83.9	74.2
21:00 Hrs. to 22:00 Hrs.	71.3	81.1	79.0	77.2	79.0	77.7
22:00 Hrs. to 23:00 Hrs.	58.7	67.9	68.8	64.4	87.9	68.1
23:00 Hrs. to 24:00 Hrs.	56.5	79.3	66.4	49.6	75.1	55.8

[Signature]

s
[Signature]

Ambient Air Quality monitoring data during Deepawali festival (07.11.2020 to 21.11.2020):

Data/Observations :

Name of the location : AIIMS, Raipur (C.G.)										
Date	Regulatory parameters							Proposed New Parameters		
	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb (µg/m ³)	Ni (ng/m ³)	As (ng/m ³)	Al (µg/m ³)	Ba (µg/m ³)	Fe (µg/m ³)
07.11.2020	07.31	10.76	35.33	16.04	0.113	N.D.	0.192	N.D.	N.D.	0.058
08.11.2020	08.33	12.45	37.66	20.18	0.127	N.D.	0.224	0.031	N.D.	0.126
09.11.2020	09.70	15.77	41.00	25.87	0.238	N.D.	0.272	0.038	N.D.	0.067
10.11.2020	07.59	15.82	36.66	21.54	0.056	N.D.	0.168	0.020	N.D.	0.057
11.11.2020	09.20	14.58	37.33	21.88	0.044	N.D.	0.120	0.047	N.D.	0.071
12.11.2020	09.64	15.82	35.66	25.61	0.164	N.D.	0.064	0.053	N.D.	0.018
13.11.2020	09.88	18.17	39.66	28.91	0.039	N.D.	0.688	0.058	N.D.	0.053
14.11.2020	12.66	21.66	56.66	55.40	0.553	N.D.	2.112	0.069	N.D.	0.192
15.11.2020	11.22	19.13	47.66	29.98	0.383	N.D.	0.960	0.065	N.D.	0.061
16.11.2020	09.84	18.58	48.66	27.65	0.143	N.D.	0.792	0.055	N.D.	0.056
17.11.2020	10.21	17.68	50.33	27.65	0.177	N.D.	0.602	0.047	N.D.	0.036
18.11.2020	09.89	17.92	51.0	28.16	0.138	N.D.	0.375	N.D.	N.D.	0.033
19.11.2020	10.38	20.11	50.66	27.97	0.215	N.D.	0.370	N.D.	N.D.	0.020
20.11.2020	10.10	18.81	52.00	27.33	0.302	N.D.	0.388	N.D.	N.D.	0.031
21.11.2020	10.32	19.05	53.66	30.22	0.104	N.D.	0.124	N.D.	N.D.	0.026

* All values (24 hourly Avg.) are in µg/m³

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Name & Signature of Official on Duty :						
	Lab Attd.	Lab Asst.	Chemist	Chemist	Scientist	Scientist

Confirmation pertains to the monitoring activity.

Ambient Air Quality monitoring data during Deepawali festival (07.11.2020 to 21.11.2020)

Data/Observations :

Name of the location : City Kotwali, Raipur (C.G.)										
Date	Regulatory parameters							Proposed New Parameters		
	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb (µg/m ³)	Ni (ng/m ³)	As (ng/m ³)	Al (µg/m ³)	Ba (µg/m ³)	Fe (µg/m ³)
07.11.2020	8.53	8.26	41.33	25.71	0.084	N.D.	0.208	0.020	N.D.	0.065
08.11.2020	8.38	17.22	38.66	24.36	0.057	N.D.	0.304	0.027	N.D.	0.079
09.11.2020	13.47	23.20	45.66	30.41	0.047	N.D.	0.084	0.018	N.D.	0.039
10.11.2020	10.44	18.02	31.66	20.34	0.045	N.D.	0.192	0.016	N.D.	0.029
11.11.2020	12.37	19.06	39.33	25.28	0.056	N.D.	0.464	0.017	N.D.	0.028
12.11.2020	12.72	19.26	43.33	33.58	0.116	N.D.	0.192	0.019	N.D.	0.030
13.11.2020	16.92	22.85	51.33	39.25	0.031	N.D.	0.544	0.041	N.D.	0.046
14.11.2020	19.77	28.55	71.66	50.55	0.056	N.D.	3.424	0.061	N.D.	0.070
15.11.2020	15.40	19.43	53.00	47.06	0.025	N.D.	2.608	0.055	N.D.	0.031
16.11.2020	18.78	20.35	54.33	43.38	0.030	N.D.	1.290	0.047	N.D.	0.044
17.11.2020	16.55	20.29	51.66	45.77	0.034	N.D.	0.472	0.017	N.D.	0.026
18.11.2020	17.65	19.77	56.66	46.72	0.039	N.D.	0.268	0.010	N.D.	0.030
19.11.2020	15.21	16.69	55.00	43.39	0.122	N.D.	1.824	0.018	N.D.	0.025
20.11.2020	18.62	18.87	57.00	46.32	0.031	N.D.	0.182	0.026	N.D.	0.018
21.11.2020	16.32	18.01	58.33	47.54	0.389	N.D.	0.168	0.024	N.D.	0.020

* All values (24 hourly Avg.) are in µg/m³

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Any other Information pertains to the monitoring activity.

Name & Signature of Official on Duty :						
	Lab Attd.	Lab Asst.	Chemist	Chemist	Scientist	Scientist

Ambient Air Quality monitoring data during Deepawali festival (07.11.2020 to 21.11.2020):

Data/Observations :

(1)

Name of the location : District hospital Pandri, Raipur (C.G.)										
Date	Regulatory parameters				Proposed New Parameters					
	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb (µg/m ³)	Ni (ng/m ³)	As (ng/m ³)	Al (µg/m ³)	Ba (µg/m ³)	Fe (µg/m ³)
07.11.2020	08.33	07.14	36.33	18.58	0.033	N.D.	0.176	0.017	N.D.	0.072
08.11.2020	10.80	17.97	42.66	21.40	0.026	N.D.	0.095	0.023	N.D.	0.045
09.11.2020	15.20	24.48	44.33	30.26	0.028	N.D.	0.144	0.030	N.D.	0.112
10.11.2020	14.23	23.90	31.66	17.69	0.069	N.D.	0.704	0.025	N.D.	0.048
11.11.2020	16.05	22.36	38.39	29.83	0.076	N.D.	0.512	0.034	N.D.	0.091
12.11.2020	15.96	20.38	49.33	22.38	0.072	N.D.	0.768	0.017	N.D.	0.063
13.11.2020	16.94	24.25	53.66	37.11	0.085	N.D.	0.992	0.010	N.D.	0.070
14.11.2020	17.46	26.65	65.33	47.39	0.300	N.D.	2.144	0.070	N.D.	0.135
15.11.2020	18.24	23.47	51.00	39.26	0.221	N.D.	1.792	0.063	N.D.	0.070
16.11.2020	20.73	25.59	51.66	36.67	0.070	N.D.	1.760	0.034	N.D.	0.062
17.11.2020	16.33	22.96	52.66	34.87	0.035	N.D.	0.384	0.020	N.D.	0.027
18.11.2020	17.66	23.09	53.66	37.56	0.038	N.D.	0.512	0.017	N.D.	0.025
19.11.2020	18.81	24.58	53.33	33.16	0.010	N.D.	0.192	0.030	N.D.	0.014
20.11.2020	17.68	24.23	54.66	35.81	0.189	N.D.	0.208	0.020	N.D.	0.018
21.11.2020	16.36	23.02	55.33	31.65	0.093	N.D.	0.080	0.015	N.D.	0.022

* All values (24 hourly Avg.) are in µg/m³

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Name & Signature of Official on Duty :	Lab Attd.	Lab Asst.				
			Chemist	Chemist	Scientist	Scientist

Any other Information pertains to the monitoring activity.

13

Annexure -IV

Format of Report : Deepawali Monitoring 2021

- Latitude & Longitude
- Climate/Meteorology
- Population
- Major Land use

Monitoring Location :

- Map showing all monitoring location of the city
- Description of monitoring site : Area/Zone : Residential, Commercial & Silence
- Activities around the monitoring location/Sources of Noise Pollution.

Data/Observations :

Noise Level during Deepawali festival 2021 :

Location : Near AIIMS Hospital, Tatibandh, Raipur Area/Zone - Silence	Pre-Deepawali Day (29.10.2021)			Deepawali Day (04.11.2021)		
	Time Duration	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax
18:00 Hrs. to 19:00 Hrs.	40.8	70.0	51.7	51.5	73.3	73.3
19:00 Hrs. to 20:00 Hrs.	54.4	71.1	57.4	51.0	66.4	60.8
20:00 Hrs. to 21:00 Hrs.	38.7	64.7	54.8	60.7	89.1	68.9
21:00 Hrs. to 22:00 Hrs.	60.0	61.3	60.0	58.0	74.7	74.6
22:00 Hrs. to 23:00 Hrs.	44.4	67.4	49.0	56.6	79.2	60.4
23:00 Hrs. to 24:00 Hrs.	41.8	70.4	43.0	45.1	58.8	46.8

Noise Level during Deepawali festival 2021 :

Location : City Kotwali, Raipur Area/Zone - Commercial	Pre-Deepawali Day (29.10.2021)			Deepawali Day (04.11.2021)		
	Time Duration	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax
18:00 Hrs. to 19:00 Hrs.	55.6	70.2	65.4	56.3	91.3	70.3
19:00 Hrs. to 20:00 Hrs.	59.3	88.7	73.5	55.5	86.1	86.1
20:00 Hrs. to 21:00 Hrs.	60.6	84.9	75.3	65.3	93.2	89.3
21:00 Hrs. to 22:00 Hrs.	51.6	62.4	61.3	64.4	93.4	64.4
22:00 Hrs. to 23:00 Hrs.	53.8	70.1	59.6	59.5	83.8	71.1
23:00 Hrs. to 24:00 Hrs.	49.7	66.0	55.6	52.2	72.5	53.1

Handwritten signatures and initials are present below the table.

Noise Level during Deepawali festival 2021 :

Location : Shankar Nagar, Raipur Area/Zone - Residential	Pre-Deepawali Day (29.10.2021)			Deepawali Day (04.11.2021)		
	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax	Leq dB(A)
Time Duration						
18:00 Hrs. to 19:00 Hrs.	45.0	76.3	58.0	57.6	72.7	67.7
19:00 Hrs. to 20:00 Hrs.	40.9	64.3	59.7	54.5	75.5	75.5
20:00 Hrs. to 21:00 Hrs.	55.7	72.9	62.1	77.2	79.0	77.7
21:00 Hrs. to 22:00 Hrs.	54.2	79.9	66.6	57.4	94.9	68.0
22:00 Hrs. to 23:00 Hrs.	52.3	64.7	52.3	55.8	77.6	62.6
23:00 Hrs. to 24:00 Hrs.	39.4	62.6	46.2	53.9	68.3	56.2

8-11

DN

Data/Observations :

(47)

Name of the location : AIIMS, Raipur (C.G.)										
Date	Regulatory parameters							Proposed New Parameters		
	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb (µg/m ³)	Ni (ng/m ³)	As (ng/m ³)	Al (µg/m ³)	Ba (µg/m ³)	Fe (µg/m ³)
28.10.2021	12.14	17.88	45.33	26.14	0.055	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.082
29.10.2021	11.81	14.50	47.33	25.62	0.070	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.064
30.10.2021	11.40	14.72	48.33	28.82	0.150	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.054
31.10.2021	14.78	17.26	52.00	30.41	0.082	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.063
01.11.2021	14.44	16.55	54.33	27.63	0.123	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.079
02.11.2021	13.33	16.22	54.00	28.39	0.027	N.D.	0.134	0.089	N.D.	0.046
03.11.2021	14.09	18.70	53.66	29.07	0.072	N.D.	0.176	0.134	N.D.	0.206
04.11.2021	12.89	22.31	59.33	36.14	0.758	N.D.	1.612	0.238	N.D.	0.084
05.11.2021	13.71	19.45	55.00	32.02	0.462	N.D.	0.248	0.213	N.D.	0.062
06.11.2021	15.20	18.90	52.00	29.93	0.221	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.124
07.11.2021	11.02	16.53	49.66	29.31	0.182	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.064
08.11.2021	10.67	17.23	54.00	28.57	0.164	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.052
09.11.2021	12.71	18.64	53.33	28.06	0.135	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.034
10.11.2021	13.91	18.81	54.00	26.94	0.346	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.066
11.11.2021	15.15	17.36	54.66	31.16	0.246	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.054

* All values (24 hourly Avg.) are in µg/m³

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Any other Information pertains to the monitoring activity.

Name & Signature of Official on Duty :	 Lab Asst.	 Chemist	 Jr. Scientist	 Scientist
--	---------------	-------------	-------------------	---------------

Ambient

Data/Observations :

Name of the location : CITY KOTWALLI, Raipur (C.G.)


Date	Regulatory parameters							Proposed New Parameters		
	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb (µg/m ³)	Ni (ng/m ³)	As (ng/m ³)	Al (µg/m ³)	Ba (µg/m ³)	Fe (µg/m ³)
28.10.2021	08.95	16.33	47.33	29.97	0.145	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.078
29.10.2021	08.35	16.80	48.33	29.51	0.137	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.065
30.10.2021	11.58	17.27	49.33	26.07	0.168	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.064
31.10.2021	14.46	19.08	50.00	22.69	0.178	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.098
01.11.2021	16.10	20.69	52.66	27.02	0.328	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.023
02.11.2021	18.22	26.16	53.66	34.33	0.898	N.D.	0.124	0.046	N.D.	0.051
03.11.2021	16.28	20.93	51.33	40.47	0.916	N.D.	0.462	0.124	N.D.	0.116
04.11.2021	19.94	28.88	75.00	51.37	1.246	N.D.	1.268	0.268	N.D.	0.260
05.11.2021	15.58	18.16	64.33	47.12	0.516	N.D.	0.824	0.234	N.D.	0.124
06.11.2021	16.74	19.30	57.00	48.45	0.564	N.D.	0.464	N.D.	N.D.	0.064
07.11.2021	15.35	18.60	53.33	47.14	0.234	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.055
08.11.2021	17.48	20.14	53.00	45.09	0.128	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.078
09.11.2021	15.93	17.63	57.66	46.58	0.111	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.064
10.11.2021	18.57	19.10	55.66	48.41	0.234	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.055
11.11.2021	17.44	17.26	57.00	47.26	0.168	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.048

* All values (24 hourly Avg.) are in µg/m³

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Any other Information pertains to the monitoring activity.

Name & Signature of Official on Duty :	 Lab Asst.	 Chemist	 Jr. Scientist	 Scientist
--	--	--	--	--

Ambient Air Quality monitoring data during Deepawali festival (28.10.2021 to 11.11.2021):

Data/Observations :

(21)



Name of the location : District Hospital, Raipur (C.G.)										
Date	Regulatory parameters							Proposed New Parameters		
	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb (µg/m ³)	Ni (ng/m ³)	As (ng/m ³)	Al (µg/m ³)	Ba (µg/m ³)	Fe (µg/m ³)
28.10.2021	13.87	16.67	47.33	28.95	0.628	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.072
29.10.2021	11.02	17.79	45.66	30.39	0.920	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.068
30.10.2021	13.29	23.10	48.33	27.26	0.536	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.044
31.10.2021	12.94	23.51	49.33	24.07	0.438	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.052
01.11.2021	14.99	22.46	47.33	33.29	0.435	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.062
02.11.2021	15.23	13.67	49.33	28.69	0.560	N.D.	0.116	0.068	N.D.	0.054
03.11.2021	15.94	23.60	51.66	37.98	0.703	N.D.	0.138	0.094	N.D.	0.134
04.11.2021	17.47	26.67	66.33	48.34	1.642	N.D.	0.646	0.034	N.D.	0.236
05.11.2021	16.71	22.47	52.33	38.67	0.437	N.D.	0.252	N.D.	N.D.	0.088
06.11.2021	19.15	24.42	57.00	36.23	0.421	N.D.	0.121	N.D.	N.D.	0.046
07.11.2021	14.62	20.74	51.00	35.87	0.182	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.078
08.11.2021	16.52	21.49	53.33	40.54	0.164	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.060
09.11.2021	16.13	20.98	53.00	35.41	0.135	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.024
10.11.2021	17.66	24.45	54.66	47.42	0.346	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.042
11.11.2021	14.25	21.34	55.33	41.32	0.246	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.062

* All values (24 hourly Avg.) are in µg/m³

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Any other Information pertains to the monitoring activity.

Name & Signature of Official on Duty :	 Lab Asst.	 Chemist	 Jr. Scientist	 Scientist
--	---	--	--	--

Format of Report : Deepawali Monitoring 2022

Latitude & Longitude
Climate/Meteorology
Population
Major Land use

Monitoring Location :

Map showing all monitoring location of the city

Description of monitoring site : Area/Zone : Residential, Commercial & Silence
Activities around the monitoring location/Sources of Noise Pollution.

Observations :

Noise Level during Deepawali festival 2022 :

Location : Near AIIMS Hospital, Tatibandh, Surat	Pre-Deepawali Day (18.10.2022)			Deepawali Day (24.10.2022)		
	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax	Leq dB(A)
10 Hrs. to 19:00 Hrs.	65.5	82.1	68.1	52.1	69.1	56.4
10 Hrs. to 20:00 Hrs.	53.8	68.1	56.5	64.8	77.5	71.4
10 Hrs. to 21:00 Hrs.	56.5	77.8	66.7	50.6	76.2	73.6
10 Hrs. to 22:00 Hrs.	49.0	57.0	55.6	56.3	82.0	75.7
10 Hrs. to 23:00 Hrs.	52.3	60.9	52.3	63.0	83.2	72.0
10 Hrs. to 24:00 Hrs.	45.1	58.8	46.8	44.4	67.4	49.0

Noise Level during Deepawali festival 2022 :

Location : City Kotwali, Surat	Pre-Deepawali Day (18.10.2022)			Deepawali Day (24.10.2022)		
	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax	Leq dB(A)
10 Hrs. to 19:00 Hrs.	50.4	73.4	59.1	56.6	69.8	63.2
10 Hrs. to 20:00 Hrs.	59.8	70.0	63.0	52.0	80.7	79.9
10 Hrs. to 21:00 Hrs.	58.2	76.9	64.2	74.9	89.1	81.1
10 Hrs. to 22:00 Hrs.	55.4	71.6	55.4	57.1	93.8	93.82
10 Hrs. to 23:00 Hrs.	56.6	70.0	59.5	57.8	79.5	77.9
10 Hrs. to 24:00 Hrs.	57.0	63.7	57.0	55.4	71.6	54.69

22 21

22 21

Format of Report : Deepawali Monitoring 2022

Latitude & Longitude

Climate/Meteorology

Population

Major Land use

Monitoring Location :

Map showing all monitoring location of the city

Description of monitoring site : Area/Zone : Residential, Commercial & Silence

Activities around the monitoring location/Sources of Noise Pollution.

Observations :

Noise Level during Deepawali festival 2022 :

Location : Near AIIMS Hospital, Tatibandh, Surat	Pre-Deepawali Day (18.10.2022)			Deepawali Day (24.10.2022)		
	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax	Leq dB(A)
10 Hrs. to 19:00 Hrs.	65.5	82.1	68.1	52.1	69.1	56.4
10 Hrs. to 20:00 Hrs.	53.8	68.1	56.5	64.8	77.5	71.4
10 Hrs. to 21:00 Hrs.	56.5	77.8	66.7	50.6	76.2	73.6
10 Hrs. to 22:00 Hrs.	49.0	57.0	55.6	56.3	82.0	75.7
10 Hrs. to 23:00 Hrs.	52.3	60.9	52.3	63.0	83.2	72.0
10 Hrs. to 24:00 Hrs.	45.1	58.8	46.8	44.4	67.4	49.0

Noise Level during Deepawali festival 2022 :

Location : City Kotwali, Surat	Pre-Deepawali Day (18.10.2022)			Deepawali Day (24.10.2022)		
	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax	Leq dB(A)
10 Hrs. to 19:00 Hrs.	50.4	73.4	59.1	56.6	69.8	63.2
10 Hrs. to 20:00 Hrs.	59.8	70.0	63.0	52.0	80.7	79.9
10 Hrs. to 21:00 Hrs.	58.2	76.9	64.2	74.9	89.1	81.1
10 Hrs. to 22:00 Hrs.	55.4	71.6	55.4	57.1	93.8	93.82
10 Hrs. to 23:00 Hrs.	56.6	70.0	59.5	57.8	79.5	77.9
10 Hrs. to 24:00 Hrs.	57.0	63.7	57.0	55.4	71.6	54.69

Handwritten marks: a checkmark and a signature.

Handwritten marks: a checkmark and a signature.

(23)

Noise Level during Deepawali festival 2022 :

Location : Shankar gar. Raipur	Pre-Deepawali Day (18.10.2022)			Deepawali Day (24.10.2022)		
	Lmin	Lmax	Leq dB(A)	Lmin	Lmax	Leq dB(A)
18:00 Hrs. to 19:00 Hrs.	52.6	69.7	52.6	55.6	71.2	58.2
19:00 Hrs. to 20:00 Hrs.	55.4	71.6	55.4	55.4	79.2	65.5
20:00 Hrs. to 21:00 Hrs.	54.8	70.2	59.1	53.4	95.4	79.7
21:00 Hrs. to 22:00 Hrs.	54.5	79.6	58.6	57.1	81.6	81.1
22:00 Hrs. to 23:00 Hrs.	60.0	61.3	60.6	56.3	73.1	73.1
23:00 Hrs. to 24:00 Hrs.	45.1	58.8	48.8	45.0	76.3	58.0

S S

10/22

OK

Ambient Air Quality monitoring data during Deepawali festival (17.10.2022 to 31.10.2022):



Data/Observations :

Name of the location : City Kotwali, Raipur (C.G.)										
Date	Regulatory parameters							Proposed New Parameters		
	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ni (ng/m^3)	As (ng/m^3)	Al ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Fe ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17.10.2022	57.61	19.39	09.68	11.48	0.017	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.028
18.10.2022	61.00	34.14	14.40	23.29	0.048	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.054
19.10.2022	62.66	39.14	15.38	24.32	0.045	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.068
20.10.2022	66.66	44.27	16.48	25.62	0.048	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.043
21.10.2022	68.33	47.18	17.44	26.61	0.056	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.049
22.10.2022	71.33	49.22	18.19	27.73	0.092	N.D.	0.02	0.073	N.D.	0.135
23.10.2022	73.00	52.22	18.97	28.50	0.098	N.D.	0.04	0.098	N.D.	0.261
24.10.2022	76.82	54.78	20.11	29.23	0.963	N.D.	0.39	0.663	N.D.	0.866
25.10.2022	74.33	53.21	18.98	28.39	0.804	N.D.	0.25	0.572	N.D.	0.642
26.10.2022	72.66	52.33	17.83	27.39	0.762	N.D.	0.18	0.254	N.D.	0.512
27.10.2022	70.66	51.10	16.49	26.38	0.562	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.418
28.10.2022	69.33	49.05	15.38	25.45	0.484	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.322
29.10.2022	67.33	47.28	14.41	24.66	0.354	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
30.10.2022	65.00	42.23	13.65	23.56	0.085	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
31.10.2022	64.00	38.44	12.54	22.48	0.068	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Any other Information pertains to the monitoring activity.

Name & Signature of Official on Duty :	 Lab Attd.	 Lab Asst.	Chemist	 Jr. Scientist	 Scientist
--	--	---	---------	--	--

Ambient Air Quality monitoring data during Deepawali festival (17.10.2022 to 31.10.2022):

Data/Observations :



27

Name of the location : AIIMS, Raipur (C.G.)										
Date	Regulatory parameters							Proposed New Parameters		
	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ni (ng/m ³)	As (ng/m ³)	Al ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Fe ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17.10.2022	59.00	18.13	10.30	15.26	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
18.10.2022	53.00	22.03	10.05	16.16	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
19.10.2022	55.33	25.43	10.62	17.39	0.031	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
20.10.2022	61.33	28.65	11.37	18.12	0.028	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.038
21.10.2022	58.33	31.35	11.59	20.13	0.022	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.052
22.10.2022	60.33	35.18	12.15	21.00	0.045	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.083
23.10.2022	61.00	37.19	12.87	21.79	0.063	N.D.	0.01	0.042	N.D.	0.185
24.10.2022	62.33	38.56	13.32	22.53	0.708	N.D.	0.24	0.469	N.D.	0.648
25.10.2022	61.00	36.42	12.89	21.94	0.662	N.D.	0.18	0.438	N.D.	0.537
26.10.2022	59.66	34.33	12.30	21.18	0.386	N.D.	0.04	0.183	N.D.	0.175
27.10.2022	60.00	36.88	12.94	20.52	0.315	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.162
28.10.2022	54.66	34.13	11.39	19.99	0.248	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
29.10.2022	56.33	35.46	11.82	20.46	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
30.10.2022	55.33	34.40	10.84	19.40	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
31.10.2022	59.33	36.27	10.29	18.34	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Any other Information pertains to the monitoring activity.

Name & Signature of Official on Duty :	 Lab Attd.	 Lab Asst.	Chemist	 Jr. Scientist	 Scientist
--	--	--	---------	--	--

Ambient Air Quality monitoring data during Deepawali festival (17.10.2022 to 31.10.2022):



Data Observations :

Name of the location : District hospital Pandri, Raipur (C.G.)										
Date	Regulatory parameters							Proposed New Parameters		
	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Metals in PM ₁₀			Metals in PM _{2.5}		
					Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ni (ng/m ³)	As (ng/m ³)	Al ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Fe ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17.10.2022	56.00	22.23	09.61	13.98	0.022	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.038
18.10.2022	60.00	33.65	12.51	22.31	0.053	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.063
19.10.2022	57.66	34.07	13.65	23.44	0.057	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.082
20.10.2022	59.33	35.40	14.44	24.46	0.048	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.037
21.10.2022	61.00	37.86	15.39	25.20	0.044	N.D.	0.01	N.D.	N.D.	0.045
22.10.2022	64.66	43.35	16.15	25.93	0.082	N.D.	0.04	0.087	N.D.	0.088
23.10.2022	67.33	48.05	16.69	26.51	0.186	N.D.	0.08	0.092	N.D.	0.225
24.10.2022	68.66	50.90	17.45	27.14	0.814	N.D.	0.96	2.36%	N.D.	1.746
25.10.2022	65.33	39.62	16.52	26.68	0.635	N.D.	0.54	0.435	N.D.	1.247
26.10.2022	64.33	37.48	16.12	26.14	0.424	N.D.	0.27	0.183	N.D.	0.838
27.10.2022	63.00	35.39	15.74	25.14	0.218	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.266
28.10.2022	64.66	38.37	15.18	24.43	0.074	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.092
29.10.2022	62.66	34.14	14.43	23.20	0.055	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
30.10.2022	61.33	31.16	13.48	22.47	0.042	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
31.10.2022	59.33	28.20	12.71	21.70	0.016	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Interpretation of Ambient Air Quality Data/Results :

Report the compliance of the air pollutants concentration with standard limits for that area. If there is increase or decrease of pollutant concentration in that area, note the causes affecting air pollutants concentration.

Any other Information pertains to the monitoring activity.

Name & Signature of Official on Duty :	 Lab Attd.	 Lab Asst.	Chemist	 Jr. Scientist	 Scientist
--	---	--	---------	--	--



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : City Kotwali Thana Chowk,
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 12/01/2023
3. Date of Analysis : 13/01/2023
4. Monitored By : R.R. Tripathi (Lab. Attd.)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Police Station gate approx 25 mtr. away from the source	µg/m ³	88.40

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.35 A.M.	dB	58.2
2.	11.55 A.M.	dB	55.4
3.	12.05 P.M.	dB	54.8
4.	12.20 P.M.	dB	57.3

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.

Lab Asst.

Chemist

Jr. Scientist

Scientist

33



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : Fafadih Chowk Police Station, Raipur.
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 27/01/2023
3. Date of Analysis : 30/01/2023
4. Monitored By : S.K. Khanna (Lab. Asst. Grade-I)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Yatayat Thana approx 30 mtr. away from the source	µg/m ³	84.40

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.15 A.M.	dB	57.3
2.	11.25 A.M.	dB	54.6
3.	11.45 A.M.	dB	56.1
4.	12.10 A.M.	dB	53.9

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.

Lab Asst.

Chemist

Jr. Scientist

Scientist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : City Kotwali Thana Chowk,
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 21/02/2023
3. Date of Analysis : 22/02/2023
4. Monitored By : Sanjay Singh (Chemist)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Police Station gate approx 25 mtr. away from the source	µg/m ³	86.15

NOISE MONITORING


S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.55 A.M.	dB	57.8
2.	12.05 P.M.	dB	56.3
3.	12.15 P.M.	dB	53.2
4.	12.25 P.M.	dB	55.7

Remark

. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.


Lab Asst.


Chemist


Jr. Scientist


Scientist



REGIONAL OFFICE:
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : Fafadih Chowk Police Station,
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 28/02/2023
3. Date of Analysis : 01/03/2023
4. Monitored By : S.K. Tiwari (Lab. Asst. Grade-II)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Yatayat Thana Approx 30 mtr. away from the source	µg/m ³	82.27

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.20 A.M.	dB	55.8
2.	11.30 A.M.	dB	58.9
3.	11.40 A.M.	dB	56.2
4.	11.50 A.M.	dB	59.6

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.


Lab Asst.


Chemist


Jr. Scientist


Scientist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : Fafadih Chowk Police Station,
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 28/02/2023
3. Date of Analysis : 01/03/2023
4. Monitored By : S.K. Tiwari (Lab. Asst. Grade-II)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Yatayat Thana Approx 30 mtr. away from the source	µg/m ³	82.27

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.20 A.M.	dB	55.8
2.	11.30 A.M.	dB	58.9
3.	11.40 A.M.	dB	56.2
4.	11.50 A.M.	dB	59.6

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.


Lab Asst.


Chemist


Jr. Scientist


Scientist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : Fafadih Chowk Police Station.
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 31/03/2023
3. Date of Analysis : 03/04/2023
4. Monitored By : S.K. Tiwari (Lab. Asst. Grade-II)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Yatayat Thana Approx 30 mtr. away from the source	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	79.28

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	12.40 P.M.	dB	56.4
2.	12.50 P.M.	dB	58.2
3.	01.00 P.M.	dB	59.6
4.	01.10 P.M.	dB	60.4

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.

Monitored By

Chemist

Jr. Scientist

Scientist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : City Kotwali Thana Chowk,
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 27/03/2023
3. Date of Analysis : 28/03/2023
4. Monitored By : S.K. Khanna (Lab. Asst. Grade-I)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Police Station gate 25 mtr. away from the source	µg/m ³	82.66

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.40 A.M.	dB	56.2
2.	11.50 P.M.	dB	56.8
3.	12.00 P.M.	dB	57.4
4.	12.10 P.M.	dB	58.4

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.

Monitored By

Chemist

Jr. Scientist

Scientist



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : Fafadih Chowk Police Station,
Dist. - Raipur
2. Date of Sampling : 26/04/2023
3. Date of Analysis : 27/04/2023
4. Monitored By : S.K. Khanna (Lab. Asst. Grade-I)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Yatayat Thana Approx 30 mtr. away from the source	µg/m ³	77.26

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	10.40 P.M.	dB	56.4
2.	10.50 P.M.	dB	54.3
3.	11.00 P.M.	dB	55.8
4.	11.10 P.M.	dB	58.9


Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.


Chemist


Jr. Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : City Kotwali Thana Chowk,
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 26/04/2023
3. Date of Analysis : 27/04/2023
4. Monitored By : S.K. Khanna (Lab. Asst. Grade-I)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic PM ₁₀
1.	Near Police Station gate 25 mtr. away from the source	µg/m ³	80.18


NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.50 A.M.	dB	58.3
2.	12.00 P.M.	dB	57.6
3.	12.10 P.M.	dB	56.4
4.	12.20 P.M.	dB	59.8

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.


Chemist


Jr. Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : Fafadih Chowk Police Station,
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 26/04/2023
3. Date of Analysis : 29/04/2023
4. Monitored By : S.K. Khanna (Lab. Asst. Grade-I)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Yatayat Thana Approx 30 mtr. away from the source	µg/m ³	73.62

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	10.30 P.M.	dB	50.6
2.	10.40 P.M.	dB	54.2
3.	10.50 P.M.	dB	53.7
4.	11.00 P.M.	dB	56.3

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.


Chemist


Jr. Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : City Kotwali Thana Chowk,
Dist.- Raipur.
2. Date of Sampling : 13/05/2023
3. Date of Analysis : 15/05/2023
4. Monitored By : S.K. Tiwari (Lab. Asst. Grade-II)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Police Station gate 25 mtr. away from the source	µg/m ³	72.48

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.50 A.M.	dB	54.4
2.	12.00 P.M.	dB	56.2
3.	12.10 P.M.	dB	53.8
4.	12.20 P.M.	dB	57.6

Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.

BY
Chemist

J.S.
Jr. Scientist

S.K.T.
Scientist

R.O.
Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : City Kotwali Thana Chowk,
Dist.- Raipur.
2. Date of Sampling : 20/06/2023
3. Date of Analysis : 21/06/2023
4. Monitored By : S.K. Tiwari (Lab. Asst. Grade-II)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Police Station gate 25 mtr. away from the source	µg/m ³	71.02

NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.50 A.M.	dB	54.4
2.	12.00 P.M.	dB	56.2
3.	12.10.P.M.	dB	53.8
4.	12.20 P.M.	dB	57.6


Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.


Chemist


Jr. Scientist


Scientist


Regional Officer



REGIONAL OFFICE
C.G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
HOUSING BOARD COMPLEX, KABIR NAGAR, RAIPUR (C.G.)

"Air Monitoring Report"

1. Name of Cluster : Fafadih Chowk Police Station.
Dist.- Raipur
2. Date of Sampling : 09/06/2023
3. Date of Analysis : 12/06/2023
4. Monitored By : Sanjay Singh (Chemist)
5. Reference : As per package.

AMBIENT AIR MONITORING

S. No.	Monitoring point	Unit	Characteristic
			PM ₁₀
1.	Near Yatayat Thana Approx 30 mtr. away from the source	µg/m ³	82.27


NOISE MONITORING

S.No.	Time	Unit	Sound Level Meter Reading
1.	11.20 A.M.	dB	56.8
2.	11.30 A.M.	dB	59.6
3.	11.40 A.M.	dB	54.4
4.	11.50 A.M.	dB	58.8


Remark

1. During the monitoring period weather was clear & wind direction was variable.


Chemist


Jr. Scientist


Scientist


Regional Officer

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

Writ Petition (PIL) No. 112 of 2016

Nitin Singhvi S/o Late N. C. Singhvi, Aged About 54 Years R/o H I G-3 Sect-3 Shankar Nagar Raipur, Dist. Raipur, Chhattisgarh.

---- Petitioner

Versus

1. State Of Chhattisgarh Through Secretary Housing And Environment Department, Mantralaya Mahanadi Bhawan, New Raipur District Raipur (Chhattisgarh)
2. Chief Secretary, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, New Raipur District Raipur (Chhattisgarh)
3. Chhattisgarh Environment Conservation Board Through Chairman, Mantralaya Mahanadi Bhawan, New Raipur, District Raipur (Chhattisgarh)
4. Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, C B D-Cum- Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi 110032
5. The Collector, District Bilaspur (Chhattisgarh)
6. The Collector, District Raipur (Chhattisgarh)
7. The Collector, District Durg Chhattisgarh.
8. The Collector, District Raigarh (Chhattisgarh).
9. The Collector, District Bastar Chhattisgarh.
10. The Collector, District Surguja (Chhattisgarh)
11. The Collector, District Korba, Chhattisgarh.
12. The Collector, District Rajnandgaon, Chhattisgarh.
13. The Collector, District Janjgir Champa (Chhattisgarh)
14. The Collector, District Jashpur (Chhattisgarh)
15. The Collector, District Koriya (Chhattisgarh)
16. The Collector, District Mahasamund (Chhattisgarh)
17. The Collector, District Dhamtari, Chhattisgarh.

18. The Collector, District Kanker (Chhattisgarh)
19. The Collector, District Kawardha (Chhattisgarh).
20. The Collector, District Dantewada (Chhattisgarh)
21. The Collector, District Narayanpur (Chhattisgarh)
22. The Collector, District Bijapur Chhattisgarh.
23. The Collector, District Balod (Chhattisgarh)
24. The Collector, District Bemetara, (Chhattisgarh)
25. The Collector, District Mungeli (Chhattisgarh)
26. The Collector, District Baloda Bazar Bhathapara, Chhattisgarh.
27. The Collector, District Gariyaband (Chhattisgarh)
28. The Collector, District Kondagaon, (Chhattisgarh).
29. The Collector, District Sukma (Chhattisgarh)
30. The Collector, District Balrampur Ramanujanj (Chhattisgarh)
31. The Collector, District Surajpur (Chhattisgarh)

--- Respondents

06/12/2016	<p>Shri Saurabh Dangi, Advocate for the Petitioner.</p> <p>Shri Prafull N Bharat, Additional Advocate General for the State.</p> <p>In this public interest litigation, the basic complaint of the Petitioner is that there are increasing level of noise in the State of Chhattisgarh and the various authorities constituted under the laws are not performing the duty they are statutorily required to perform resulting in increase of noise pollution.</p>	

ST

The Petitioner, in the main petition has prayed for the following reliefs:

"10.1 The Hon'ble Court may kindly be pleased to direct the respondent authorities to implement the directions issued by the Hon'ble Apex Court in the matter of Noise Pollution (V), IN Re v. Forum, Prevention of Environment & Sound Pollution in full spirit.

10.2 The Hon'ble Court may kindly be pleased to direct the respondent authorities to implement Noise (Pollution and Control) Rules, 2000 as amended on 2010 in full spirit."

In the interim relief application, the reliefs are similar in nature.

For the guidance of these authorities, we may elaborate the law.

The issue of noise pollution has been the subject matter of a number of decisions. Normally in view of the directions issued by the Apex Court from time to time, this Court would not have been required to refer to all the decisions, but since the Administration in the State seems to be total ignorant about the decisions delivered by the Apex Court from time to time, this Court is compelled to refer to these judgments.

In the 5th Noise Pollution Control Case decided on 18th July, 2005, In Re, Noise Pollution [(2005) 5 SCC 733], the Supreme Court dealt with all the issues relating to noise pollution. The following observations of the Apex Court need to be highlighted:-

"10. Article 21 of the Constitution guarantees life and personal liberty to all persons. It is well settled by repeated pronouncements of this Court as also the High Courts that the right to life enshrined in Article 21 is not of mere survival or existence. It guarantees a right of persons to life with human dignity. Therein are included, all the aspects of life which go to make a person's life meaningful, complete and worth living. Human life has its charm and there is no reason why life should not be

enjoyed along with all permissible pleasures. Anyone who wishes to live in peace, comfort and quiet within his house has a right to prevent noise as pollutant reaching him. None can claim a right to create noise even in his own premises which would travel beyond his precincts and cause nuisance to neighbours or others. Any noise which has the effect of materially interfering with the ordinary comforts of life judged by the standard of a reasonable man is nuisance. How and when a nuisance created by noise becomes actionable has to be answered by reference to its degree and the surrounding circumstances, the place and the time."

The Apex Court dealt with the argument raised before it that under Article 19(1)(a) which guarantees freedom of speech and right to expression, people have a fundamental right to create nuisance and be heard. The Apex Court had this to say:

"11. xxx xxx xxx

Nobody can claim a fundamental right to create noise by amplifying the sound of his speech with the help of loudspeakers. While one has a right to speech, others have a right to listen or decline to listen. Nobody can be compelled to listen and nobody can claim that he has a right to make his voice trespass into the ears or mind of others. Nobody can indulge in aural aggression. If anyone increases his volume of speech and that too with the assistance of artificial devices so as to compulsorily expose unwilling persons to hear a noise raised to unpleasant or obnoxious levels, then the person speaking is violating the right of others to a peaceful, comfortable and pollution-free life guaranteed by Article 21."

Section 2(a) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, includes noise in the definition of "air pollutant". Noise is a nuisance and a health hazard. In fact, in modern days, noise has become one of the major noise pollutants and has a serious deleterious effect on human health. The Apex Court identified the various ways in which noise can adversely affect the right of the citizens. These are (i) Hearing Loss, (ii) Interference with

Communication, (iii) Disturbance of sleep, (iv) Annoyance, (v) Effect on performance, (vi) Physiological effects, (vii) Adverse effect of noise on the unborn child, and (viii) Ill effects on the unborn, children and human beings generally.

The Apex Court also identified the following as a major source of noise pollution:-

(i) Road traffic noise, (ii) Aircraft noise, (iii) Noise from railroads, (iv) Construction noise, (v) Noise in industry, (vi) Noise in buildings, (vii) Noise from consumer products, (viii) Noise of the fireworks, and (ix) Noise from festivals.

The Apex Court thereafter dealt with the various legal provisions relating to noise pollution in many other countries like UK, USA, China, Japan, Australia etc.

The statutory provisions relating to control of noise pollution as far as India is concerned are the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000. These have to be read in conjunction with the provisions of Sections 268 of the Indian Penal Code, Section 133 of the Code of Criminal Procedure, Section 89 of the Factories Act and Rules 119 and 120 of the Central Motor Vehicles Rules.

We are mainly concerned with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 framed under the Environment (Protection) Act, 1986.

Rule 3 lays down the ambient air quality standards in respect of noise for different areas/zones of industrial, commercial, residential or silence areas/zones for the purpose of implementation of noise, standards for different area.

Sub Rule (3) of Rule 3 casts a duty upon the State Government to take measures for abatement of noise including the noise emanating from vehicular movements, blowing of horns, bursting of sound emitting fire crackers, use of loud speakers or public address system or sound producing instruments. It is the duty of the State to ensure that the existing noise level do not exceed the ambient air quality standards prescribed under the rules.

Sub Rule (4) casts a duty upon all development authorities, local bodies and other concerned authorities while planning development activity to ensure that the noise levels are maintained as prescribed under the rules.

Sub Rule (5) prescribes that an area comprising not less than 100 meters around any hospital, educational institutions and court may be declared as silence area/zone for the purpose of these rules.

A bare perusal of these rules shows that at the barest minimum, the area of 100 meters from the periphery of a hospital, educational institutions and a court must be a silence zone and the noise levels maintained like a silence zone.

Rule 4 of the rules provides that that the noise levels in the particular zone will not exceed the ambient air quality standards in respect of noise as specified in the Schedule. The authorities are responsible for the enforcement of noise pollution control measures and the due compliance of the ambient air quality standards in respect of noise.

Rule 2(c) defines "authority" to mean any authority or officer authorized by the Central Government or the State Government and

includes a District Magistrate, Police Commissioner or any other officer not below the rank of the Deputy Superintendent of Police designated for the maintenance of the ambient air quality standards in respect of noise.

Rule 5 of the rules clearly provides that a loud speaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority.

Sub-rule (2) of Rule 5 provides that no loud speaker or public address system or any sound producing instrument or a musical instrument or a sound amplifier shall be used at night time during 10 pm to 6 am except within an auditorium, conference rooms, community hall, banquet hall or during a public emergency.

Sub-rule (3) permits the State Government in certain cases to permit the use of loud speaker or public address system during night hours between 10 pm to 12 midnight during cultural or religious occasions, but the power is limited to giving this exemption only for a total period not exceeding 15 days in an entire calendar year. The rule also provides that the State Government should generally specify in advance, the number and particulars of the days on which such exemption would be operative.

We have no doubt in our mind that the District Magistrate in exercise of powers under the Madhya Pradesh Kolahal Niyam, 1985 cannot give exemption for more than 15 days for the entire calendar year.

Even where such use of loud speakers or public address system is allowed, the noise source should not exceed 10 decibels

(db) above the ambient noise standard or 75 dB whichever is lower. Therefore, under no circumstance can the sound level be higher than 75 dB. In case of privately owned sound systems, the sound at the boundary of the private place where such permission is granted should not exceed more than 5 dB of the ambient noise standards.

Rule 5A provides that no horn shall be used in a silence zone or during night time in residential areas except during a public emergency. Similarly, sound emitting fire crackers shall not be burst in silence zone or during night time. These standards have been laid down by the Central Government and these standards apply to the entire country and these standards are required to be strictly complied with throughout the country.

Rule 119 (2) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 provides that no motor vehicle including an agricultural tractor shall be fitted with a multi toned horn giving a succession of different notes or any other sound producing device which gives an unduly harsh, shrill, loud or alarming noise. Every such horn should be constructed and maintained to comply with the noise standards laid down in the Environment (Protection) Rules.

The Apex Court also referred to a large number of decisions of various High Courts which had prohibited the use of multi toned horn also commonly known as pressure horn. The Apex Court approved the decisions of the Punjab High Court and the Calcutta High Court in this regard.

In *Church of God (Full Gospel) in India v. K.K.R. Majestic Colony Welfare Association* [(2000) 7 SCC 282], the Apex Court held

that the noise pollution rules would apply even if such noise was a direct result of and was connected with religious activity. The Apex Court held as follows:-

“Undisputedly, no religion prescribes that prayers should be performed by disturbing the peace of others nor does it preach that they should be through voice amplifiers or beating of drums. In our view, in a civilized society in the name of religion, activities which disturb old or infirm persons, students or children having their sleep in the early hours or during daytime or other persons carrying on other activities cannot be permitted. It should not be forgotten that young babies in the neighbourhood are also entitled to enjoy their natural right of sleeping in a peaceful atmosphere. A student preparing for his examination is entitled to concentrate on his studies without there being any unnecessary disturbance by the neighbours. Similarly, the old and the infirm are entitled to enjoy reasonable quietness during their leisure hours without there being any nuisance of noise pollution. Aged, sick, people afflicted with psychic disturbances as well as children up to 6 years of age are considered to be very sensible (sic sensitive) to noise. Their rights are also required to be honoured. Under the Environment (Protection) Act, 1986, rules for noise-pollution level are framed which prescribe permissible limits of noise in residential, commercial, industrial areas or silence zone. The question is—whether the appellant can be permitted to violate the said provisions and add to the noise pollution. In our view, to claim such a right itself would be unjustifiable. In these days, the problem of noise pollution has become more serious with the increasing trend towards industrialisation, urbanisation and modernisation and is having many evil effects including danger to health. It may cause interruption of sleep, affect communication, loss of efficiency, hearing loss or deafness, high blood pressure, depression, irritability, fatigue, gastrointestinal problems, allergy, distraction, mental stress and annoyance etc. This also affects animals alike. The extent of damage depends upon the duration and the intensity of noise. Sometimes it leads to serious law and order problem. Further, in an organised society, rights are related with duties towards others including neighbours.”

After dealing with the entire law, the Apex Court issued the following directions:-

“(i) Firecrackers:-

174. 1. On a comparison of the two systems i.e. the present system of evaluating firecrackers on the basis of noise levels, and the other where the firecrackers shall be evaluated on the basis of chemical composition, we feel that the latter method is more practical and workable in Indian circumstances. It shall be followed unless and until replaced by a better system.

2. The Department of Explosives (DOE) shall undertake necessary research activity for the purpose and come out with the chemical formulae for each type or category or class of firecrackers. DOE shall specify the proportion/composition as well as the maximum permissible weight of every chemical used in manufacturing firecrackers.

3. The Department of Explosives may divide the firecrackers into two categories—(i) sound-emitting firecrackers, and (ii) colour/light-emitting firecrackers.

4. There shall be a complete ban on bursting sound-emitting firecrackers between 10 p.m. and 6 a.m. It is not necessary to impose restrictions as to time on bursting of colour/light-emitting firecrackers.

5. Every manufacturer shall on the box of each firecracker mention details of its chemical contents and that it satisfies the requirement as laid down by DOE. In case of a failure on the part of the manufacturer to mention the details or in cases where the contents of the box do not match the chemical formulae as stated on the box, the manufacturer may be held liable.

6. Firecrackers for the purpose of export may be manufactured bearing higher noise levels subject to the following conditions: (i) the manufacturer should be permitted to do so only when he has an export order with him and not otherwise; (ii) the noise levels for these firecrackers should conform to the noise standards prescribed in the country to which they are intended to be exported as per the export order; (iii) these firecrackers should have a different colour packing, from those intended to be sold in India; (iv) they must carry a declaration printed thereon something like “not for sale in India” or “only for export to country AB” and so on.

(ii) Loudspeakers:-

175. 1. The noise level at the boundary of the public place, where loudspeaker or public address system or any other noise source is being used shall not exceed 10 dB(A) above the ambient noise standards for the area or

75 dB(A) whichever is lower.

2. No one shall beat a drum or tom-tom or blow a trumpet or beat or sound any instrument or use any sound amplifier at night (between 10.00 p.m. and 6 a.m.) except in public emergencies.

3. The peripheral noise level of privately-owned sound system shall not exceed by more than 5 dB(A) than the ambient air-quality standard specified for the area in which it is used, at the boundary of the private place.

(iii) Vehicular noise:-

176. No horn should be allowed to be used at night (between 10 p.m. and 6 a.m.) in residential area except in exceptional circumstances.

(iv) Awareness:-

177. 1. There is a need for creating general awareness towards the hazardous effects of noise pollution. Suitable chapters may be added in the textbooks which teach civic sense to the children and youth at the initial/early level of education. Special talks and lectures be organised in the schools to highlight the menace of noise pollution and the role of the children and younger generation in preventing it. Police and civil administration should be trained to understand the various methods to curb the problem and also the laws on the subject.

2. The State must play an active role in this process. Resident Welfare Associations, service clubs and societies engaged in preventing noise pollution as a part of their projects need to be encouraged and actively involved by the local administration.

3. Special public awareness campaigns in anticipation of festivals, events and ceremonial occasions whereat firecrackers are likely to be used, need to be carried out.

The abovesaid guidelines are issued in exercise of power conferred on this Court under Articles 141 and 142 of the Constitution. These would remain in force until modified by this Court or superseded by an appropriate legislation.

(v) Generally:-

178. 1. The States shall make provision for seizure and confiscation of loudspeakers, amplifiers and such other equipment as are found to be creating noise beyond the permissible limits.

2. Rule 3 of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 makes provision for specifying ambient air-quality standards in respect of noise for

different areas/zones, categorization of the areas for the purpose of implementation of noise standards, authorising the authorities for enforcement and achievement of laid down standards. The Central Government/ State Governments shall take steps for laying down such standards and notifying the authorities where it has not already been done.

179. Though, the matters are closed consistently with the directions as issued above in public interest, there will be liberty of seeking further directions as and when required and in particular in the event of any difficulty arising in implementing the directions.”

These directions of the Supreme Court are mandatory directions required to be followed by each and every one of us. The law laid down by the Apex Court binds each and every person in the country.

There can be no manner of doubt that the authorities in the State must obey out the law as laid down by the Apex Court which is a law within the meaning of Article 141 of the Constitution of India for the entire country. Not only that, the Central Government and the State Government have framed various rules and regulations which are required to be complied with.

This Court can take judicial notice of the fact that there is large scale violation of noise pollution Rules and the Act in the State of Chhattisgarh. It appears that the law has become a dead letter word and none is willing to to obey the law. Even the law enforcing agencies and the authorities prescribed under the law are deaf to the loud noise which is causing pollution. What to talk about control, there is passive, if not active, encouragement to the laws being violated. The authorities may turn a deaf ear but this Court must ensure that the laws are followed.

The State of Chhattisgarh has enacted the Madhya Pradesh Kolahal Niyam Adhiniyam, 1985. We shall deal with the provisions of this Act at an appropriate stage but it prima facie appears to us that some of the provisions of this Act are violative of the law laid down by the Supreme Court and the State Act is in direct conflict with the rules framed by the Central Government. When there is a conflict between enactment made by the State Government and the Central Government and the matter falls within the purview of concurrent list, then it is the central law which will prevail.

Be that as it may, under both the Acts *i.e.* State Act and the Central Act, the District Magistrate is the prescribed authority. In the State of Chhattisgarh, the District Magistrates are also empowered to delegate their powers to officers not below the rank of Naib Tahsildar.

The Apex Court has repeatedly held that once the Government has laid down the standards both for ambient air quality as well as the maximum decibel limits to which instruments and noise making devices can be played, it is the duty of the State to ensure that such notification is complied with in letter and spirit. There is no use of issuing notifications and laying down standards if on the ground these standards are not maintained and the officials charged with the responsibility of ensuring the maintenance of such standards totally abdicate their duties and functions.

By the next date, the learned counsel for the parties shall submit to us a list of NGOs or other public spirited organizations who

can help the State and the State Pollution Control Board in the task of dissemination of knowledge with regard to prevention of noise pollution. Sufficient material should be made available to various organizations like the Rotary Club, Lions Club or other social Clubs working in the State of Chhattisgarh as well as the Clubs functioning in the different localities not only of Bilaspur but of all the towns in the State of Chhattisgarh. They shall all be supplied with a copy of this order also by the State. The respondent-State shall also ensure that such information is made available to all religious organizations in each and every district of the State of Chhattisgarh.

We feel that it will not be possible only if the District Magistrate is to carry out the work of regulating noise pollution and therefore, we direct that in addition to the District Magistrates, the Sub Divisional Magistrates of the concerned blocks, Superintendent of Police of the concerned district and the Deputy Superintendent of Police shall also be responsible to ensure compliance with the various laws relating to noise pollution.

We direct the aforesaid four authorities in the entire State of Chhattisgarh to ensure that noise level is maintained within the permitted limits and that loudspeakers and other musical instruments are not used in violation of the Act and the Rules.

We direct all the District Magistrates in the State of Chhattisgarh to file an affidavit in this Court on or before 15th February, 2017 stating the following facts in a tabular form:

(1) What action, if any, has been taken in their concerned Districts in the last three years to ensure that there is no violation of

any of the provisions of the Madhya Pradesh Kolahal Niyantran Adhiyam, 1985 and the Noise (Pollution & Control) Rules, 2000 with regard to the noise pollution?

(ii) Whether the District Magistrates have any instruments to measure the level of sound and if so, the number of such instruments. If there are no such instruments, the State shall immediately procure such instruments not less than 24 for each Districts.

(iii) Whether the District Magistrates have delegated their power to any other authority, and if so, to whom alongwith copies of the notifications in this regard.

The District Magistrate shall ensure that widespread publicity is given to the noise pollution rules referred to by us above and a synopsis of the rules and the notification in the local languages can be circulated in the newspapers having circulation in the area as well as by giving due publicity on All India Radio and Doordarshan. We also call upon the local TV channels to disseminate information in this regard as this is their corporate social responsibility to ensure that they disseminate knowledge to the people.

As held by us earlier, Rule 119(2) of the Central Motor Vehicles Rules prohibits the use of multi toned horns or any other sound producing device which gives an unduly harsh, shrill, loud or alarming noise. Only those horns can be used on vehicles which meet with the requirements of the Bureau of Indian Standard. However, we have noticed that pressure horns and multi toned horns are being used with impunity in the State of Chhattisgarh. The State

is directed to ensure that adequate steps are taken to ensure that there is no violation of the Rule 119 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

We direct the State to issue directions within one week from today to all the District Magistrates, Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police and any other authority which the State deems fit including Sub-Divisional Magistrates, registering and licensing authorities, Motor Vehicle Inspectors to ensure the compliance with the rules. Multi toned horns/pressure horns are normally not used on private vehicles and are used mainly on public transport vehicles. All these public transport vehicles have to obtain a fitness certificate. When the fitness certificate is obtained, the authority granting such fitness certificate must ensure that there is no multi toned horn fixed in the vehicle.

We have also found that in the State of Chhattisgarh many vehicles are plying in which huge sound boxes have been fixed and music is played at very high decibel levels. Such sound boxes cannot be permitted in any car/vehicle and this is a violation of the Motor Vehicles Rules. The District Magistrates and the Superintendent of Police shall ensure that no vehicle is permitted to ply which has such sound box. In the case of vehicles which are required to have route permits to ply as commercial vehicles after removal of the sound box, notice shall be given to the owner and the data shall be entered in a computer. In the case of second violation by the owner of the vehicle, the route permit shall be cancelled and no fresh route permit shall be granted without permission of the Court. The sound boxes shall also

be seized and not released without the orders of the Magistrate.

It is the duty of the State to ensure that the law is complied with in letter and spirit and any violation of the law shall be strictly dealt with by this Court and the concerned officials may have to face contempt action from this Court if the law is violated.

We again reiterate that under no circumstances will loudspeakers or other sound making instruments be permitted within a radius of 100 metres aerial distance as the crow flies from any school, college, Government hospitals, Court or office. Till Rules in this behalf are framed by the State, we empower the District Magistrates, the Superintendent of Police, the Deputy Superintendent of Police and any other authority as may be notified by the State Government to seize the equipment which is used for noise pollution. Once that equipment is seized, it shall not be released without obtaining orders of the concerned Magistrate. In case of second offence by any owner/supplier of the equipment, the equipment shall not be released till orders are obtained from this Court. The Magistrate shall only permit the equipment to be released on that person or the owner/supplier of the equipment filing an affidavit that he shall comply with the law in future.

We are aware that the practice of playing music and sound at high decibel level often takes place at marriages, birthday parties and also at religious and social functions. When the concerned authorities go to these functions to stop the playing of music at high decibel level or to stop music in the prohibited hours, they shall respect the sentiments of the people and politely tell them about the

orders of the Court. The orders of this Court must be obeyed but this can be ensured in a graceful and civil manner. In case the organizers of such events put up resistance or object to the officials carrying on their duties they can be challaned and prosecuted in Court and in addition thereto, the concerned authority can file an application in this Court that such person(s) has violated the orders of this Court and then contempt proceedings can be initiated against the said person(s). In case, the organizers (other than tent house services and sound system provider, disc jockeys etc.) voluntarily obey the orders of this Court, their equipment shall not be seized but in case they put up resistance or try to defy the orders of the Court, then the sound system shall be seized. As far as the case of tent house providers, sound system providers, disc jockeys etc. is concerned, the equipment shall straightway be seized.

In case of pressure horns/multi toned horns, as soon as a pressure horn or multi toned horn is detected in the vehicle, the concerned officials shall remove the horn and destroy the same at the spot after making entry in a register to be maintained in this regard.

The authorities shall also prepare a data base with the number of the vehicle, name of the driver of the vehicle and owner who were challaned for using pressure /multi toned horns and this data shall be maintained in such a manner so that if a second offence is committed by them it is easy to identify the owner and driver of the vehicle. In case of repeated offences by them, the vehicle can be seized by the authorities concerned and shall not be released except

with the permission of this Court.

The Registrar General is directed to send a copy of this order to all the District Magistrates as well as Superintendent of Police concerned who shall further ensure that this order is circulated amongst the Sub Divisional Magistrates and Deputy Superintendent of Police.

Wide publicity of this order shall be made by issuing advertisement in local Television and it shall be the duty of all the District Magistrates/Sub Divisional Magistrates to specifically send a copy of this order to all the Tent House Operators, sound system provider, disc jockeys etc. including the persons applying for permission under the provisions of the Act and the Rules.

List on 15.02.2017.

Sd/-

(Deepak Gupta)
Chief Justice

Sd/-

(Sanjay Agrawal)
Judge

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

Phone no. 0771-2426024 Fax no.. 0771-2220622 Website-raipur.gov.in Email ID-raipur.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/244/लाय./फटाका/2022

रायपुर, दिनांक 18/10/2022

दीपावली त्यौहार हेतु रायपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर फटाका बाजार लगाये जाते हैं। समय-समय पर शहर के विभिन्न स्थलों पर अवैध रूप से फटाका बाजार लगाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होते हैं। पटाखों के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 4-12/2020/32 दिनांक 26.10.2021 के अनुपालन में निम्नांकित अधिकारियों की दल गठित की जाती है। गठित दल आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए अपने संबंधित थाना क्षेत्र में स्थित फटाका दुकान/स्थल का सम्पूर्ण जांच निरंतर करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

दल क्रमांक 01

1. श्री देवेन्द्र पटेल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर (मो.नं. 9644573323)
(थाना-गोलबाजार एवं रायपुर नगर निगम सीमा को छोड़कर शेष रायपुर अनुभाग)
2. श्री जयेन्द्र सिंह, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 9111587514)
3. थाना प्रभारी, गोलबाजार, रायपुर
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
1. श्री अमय कुमार मिश्रा, रसायनज्ञ, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर (मो.नं. 8778589474)

दल क्रमांक 02

1. श्रीमती निधि साहू, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर(मो.नं. 7067723125)
(थाना-मौदहापारा, गंज, राजेन्द्र नगर, महिला थाना)
2. श्री लखेश्वर किरण, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर(मो.नं. 9406206222)
3. थाना प्रभारी, मौदहापारा, गंज, राजेन्द्र नगर, महिला थाना
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
2. श्री एस.के.चौधरी, उप अभियंता, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर (मो.नं. 9993856320)

दल क्रमांक 03

1. डॉ० दिप्ती वर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 9893848950)
(थाना-पुरानी बस्ती, टिकरापारा, डी.डी.नगर, तेलीबांधा, सरस्वती नगर, आजाद चौक, आमनाका, कवीर नगर)
2. श्री सृजन सोनकर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 7000258095)
3. थाना प्रभारी, थाना- पुरानी बस्ती, टिकरापारा, डी.डी.नगर, तेलीबांधा, सरस्वती नगर, आजाद चौक, आमनाका, कवीर नगर
4. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
3. श्री खेमचंद साहू, केमिस्ट, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर (मो.नं. 9575788780)


जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

दल क्रमांक 04

1. सुश्री रूचि शर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 8889862888)
(थाना-सिटी कोतवाली, सिविल लाईन, पंडरी, देवेन्द्र नगर, खम्हारडीह)
2. श्री विक्रान्त राठौर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 9131580227)
3. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
4. थाना प्रभारी, थाना सिटी कोतवाली, सिविल लाईन, पंडरी, देवेन्द्र नगर, खम्हारडीह,
5. श्री अजय कुमार भगत, रसायनज्ञ, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर (मो.नं. 7000408489)

दल क्रमांक 05

1. श्री जगन्नाथ वर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(नगर), रायपुर (मो.नं. 9425585323)
(थाना- खमतराई, माना, जी.आर.पी., उरला, विधानसभा, गुढियारी, सेजबहार)
2. श्री हरीश ध्रुव, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (मो.नं. 7898430650)
3. संबंधित जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर
4. थाना प्रभारी, थाना- खमतराई, माना, जी.आर.पी., उरला, विधानसभा, गुढियारी, सेजबहार
5. श्री संजय सिंह, सैम्पलर, छ.ग.पर्या.सं.मं., रायपुर(मो.नं. 9826615350)

टीप :- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आरंग, अमनपुर एवं तिल्दा, अपने अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत सतत निरीक्षण करते हुए, निरीक्षण प्रतिवेदन मिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

रायपुर, दिनांक 18/10/2022

पृ0क्रमांक/ 244/लाय./फटाका/2022
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. विस्फोटक नियंत्रक, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर), रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
11. सर्व संबंधित को पालनार्थ प्रेषित।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तिल्दा, अमनपुर, आरंग, गोबरा-नवापारा, खरोरा, कुंरा, माना कैम्प को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
रायपुर
रायपुर (छ.ग.)